राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2646/2017

1. सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता कल्याण सोसायटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान सोसायटी अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक सोसायटी, जिसका कार्यालय 32, गीजगढ़ विहार, गेट नंबर 1, हवा सड़क, जयपुर-302019 में इसके अध्यक्ष श्री जे.पी. आचार्य पुत्र श्री पी.जी. आचार्य, आयु लगभग 80 वर्ष, निवासी ए-3, जानकी पथ, भागीरथ कॉलोनी, चोमू हाउस, सी-स्कीम, जयपुर के माध्यम से है।

2. जे.पी. आचार्य पुत्र श्री पी.जी. आचार्य, आयु लगभग 80 वर्ष, निवासी ए-3, जानकी पथ, भागीरथ कॉलोनी, चोमू हाउस, सी स्कीम, जयपुर, सोसायटी के अध्यक्ष

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, पेंशन निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से	:	श्री महेंद्र सिंह एडवोकेट, सुश्री नंदनी भौन एडवोकेट।
प्रतिवादी(ओं) की ओर से	:	श्री चिरंजी लाल सैनी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सुश्री सृजना श्रेष्ठ एडवोकेट।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्रीमती। न्यायमूर्ति शुभा मेहता

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से**)**

आदेश

प्रकाशनीय

27/09/2024

न्यायालय द्वारा**: (**मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव के अनुसार**)**

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

1. यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है, जो सेवानिवृत्त मुख्य अभियंताओं की एक सोसायटी है, जो उनके कल्याण के लिए गठित है और राजस्थान सोसायटी अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। याचिकाकर्ता संख्या 1-सोसायटी ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की है:

> "अतः यह प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका को कृपया अनुमति दी जाए और एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा:-
>
> क) कृपया यह घोषित और निर्देशित किया जाए कि समान सेवा अवधि पूरी करने के बाद समान या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों के मामले में समानता और समानता के हकदार हैं,
>
> ख) कृपया यह घोषित और निर्देशित किया जाए कि जब भी किसी विशेष पद के वेतनमान, वेतन बैंड और/या ग्रेड वेतन में संशोधन किया जाता है, तो उक्त पद से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी व्यक्ति अपनी मासिक पेंशन के संगत और परिणामी संशोधन के हकदार हैं ताकि समान सेवा अवधि पूरी करने के बाद ऐसे पद से सेवानिवृत्त हुए सभी व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथियों पर ध्यान दिए बिना समान मासिक पेंशन दी जाए, और मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन को तदनुसार संशोधित किया जाना है।
>
> ग) कृपया यह घोषित और निर्देशित किया जाए कि प्रतिवादियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी को 3.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है और वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव से। उक्त लाभ उन सभी व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए था जो समान अवधि की सेवा करने के बाद उसी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
>
> घ) 12.09.2008 की विवादित अधिसूचना और 22.05.2008 के ज्ञापन को, जहाँ तक वे समान अवधि की सेवा करने के बाद मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी के मामले में विभेदकारी व्यवहार प्रदान करते हैं, कृपया असंवैधानिक घोषित किया जाए और रद्द किया जाए।
>
> ङ) प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्यों की मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी को उस तिथि से उचित रूप से बढ़ाने का निर्देश दिया जाए, जिस तिथि से ऐसे लाभ समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों को दिए गए थे, जो समान अवधि की सेवा करने के बाद उसी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उपर्युक्त अधिसूचना और ज्ञापनों के अनुसार सेवा,
>
> च) कृपया यह घोषित और निर्देशित किया जाए कि कटऑफ तिथि का निर्धारण, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान के मामले में समान लोगों को असमान माना गया, मनमाना है और सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशनभोगियों के एक ही वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

छ) कृपया यह घोषित और निर्देशित किया जाए कि चूंकि ग्रेड पे 23 20.7.2011 से समाप्त हो गया है, इसलिए याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्य स्वतः ही अपनी मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन में वृद्धि और ग्रेड पे 24 के अनुसार गणना के हकदार हैं।

ज) पूर्वोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कृपया यह घोषित और निर्देशित किया जाए कि याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्य 1.1.2006 से जुलाई 2011 तक 24295 रुपये और जुलाई 2011 के बाद 27350 रुपये की बढ़ी हुई न्यूनतम पेंशन के भुगतान और पारिवारिक पेंशन में तदनुरूप वृद्धि के हकदार हैं।

झ) प्रतिवादियों को कृपया यह निर्देशित किया जाए कि पेंशन, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान की गणना तदनुसार की जाए और निर्णय की तिथि तक बकाया राशि का भुगतान सोसायटी के सभी सदस्यों (अनुलग्नक-3 में सूचीबद्ध नाम) को याचिका की लागत और उस पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित किया जाए, और

ञ) कृपया कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश, जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित माना जाए, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी किया जाए।

<u>मामले का तथ्यात्मक सार</u>**:-**

2. याचिकाकर्ता संख्या 1-सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता कल्याण समिति ने राज्य द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित संशोधित पेंशन नीति के अंतर्गत पेंशन निर्धारण के मामले में कुछ विसंगतियों के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। 12.09.2008 की अधिसूचना और 22.05.2008 के ज्ञापन को चुनौती दी गई है और उन्हें निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि उक्त अधिसूचना और ज्ञापन में मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को मासिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी के मामले में विभेदकारी व्यवहार का प्रावधान है।

पूर्वव्यापी प्रभाव से 10 लाख रुपये की संशोधित ग्रेच्युटी राशि का लाभ प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। ग्रेड पे 24 के अनुसार मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन में वृद्धि और गणना करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा, संशोधित पेंशन योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभों के विस्तार हेतु अंतिम तिथि के निर्धारण को भी चुनौती दी गई है और यह घोषित करने का अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1-सोसायटी के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता/सदस्य 01.01.2006 से जुलाई 2011 तक 24,295/- रुपये की दर से और जुलाई 2011 के बाद 27,350/- रुपये की दर से बढ़ी हुई न्यूनतम

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

पेंशन के भुगतान के हकदार हैं, साथ ही पारिवारिक पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि की जाएगी। परिणामी राहत के रूप में याचिका की लागत और देय तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी मांगा गया है।

3. याचिकाकर्ता संख्या 1-सोसाइटी ने सेवानिवृत्त मुख्य अभियंताओं और मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए मृतक पेंशनभोगियों के कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से प्रतिनिधि हैसियत से यह याचिका दायर की है।

दलीलों से सामने आए तथ्य यह हैं कि राजस्थान राज्य में सरकारी सेवा में विभिन्न पदों के संबंध में वेतनमान, जिनमें तीन इंजीनियरिंग विभागों में मुख्य अभियंताओं के पद भी शामिल हैं, समय-समय पर निम्नानुसार संशोधित किए गए:

> "(क) दिनांक 17.02.1983 की अधिसूचना जिसमें 01.09.1981 से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1983 तैयार किए गए।
>
> (ख) दिनांक 02.02.1987 की अधिसूचना जिसमें 01.09.1986 से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1987 तैयार किए गए।
>
> (ग) दिनांक 23.09.1989 की अधिसूचना जिसमें 01.09.1988 से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1989 तैयार किए गए।
>
> (घ) दिनांक 17.02.1998 को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1998 को 01.01.1996 से लागू किया गया।
>
> (ङ) दिनांक 12.09.2008 की अधिसूचना जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 को 01.09.2006 से लागू किया गया।
>
> (च) दिनांक 29.12.2011 की अधिसूचना जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (सातवाँ संशोधन) नियम, 2011 को लागू किया गया। इस संशोधन द्वारा, ग्रेड वेतन में परिवर्तन किया गया और 37400-67000 रुपये के चालू वेतन बैंड के लिए, 8,900 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये का नया ग्रेड वेतन 20.07.2011 से लागू किया गया।
>
> (छ) दिनांक 12.09.2008 की अधिसूचना के अनुसार 06.04.2013 को संशोधित वेतन नियम, 2008 में पुनः संशोधन किया गया ताकि संशोधित वेतन नियम 01.09.2006 के स्थान पर 01.01.2006 से लागू हो सकें। इसके अतिरिक्त, "31.01.2006" के स्थान पर "31.12.2005" प्रतिस्थापित किया गया।

4. हालाँकि, जहाँ तक राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान का संबंध है, विभिन्न योजनाएँ मौजूद थीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के तत्कालीन राजप्रमुख ने राजस्थान के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को आम तौर पर नियंत्रित करने वाले नियम बनाए, जिन्हें दिनांक 23.03.1951 की अधिसूचना के तहत राजस्थान सेवा नियम के रूप में जाना जाता है। ये नियम न केवल उन लोगों की सेवा की शर्तों से संबंधित हैं जो सेवाओं के सदस्य थे, बल्कि एक अलग अध्याय, खंड I, भाग II सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन से भी संबंधित है। हालाँकि, पेंशन के संबंध में संपूर्ण प्रावधान करने की दृष्टि से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा अलग नियम तैयार किए गए थे, दिनांक 18.09.1996 की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 (जिसे आगे '1996 के पेंशन नियम' कहा जाएगा)। ये नियम 01.10.1996 से लागू किए गए थे। 1996 के पेंशन नियम का नियम 54 एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को देय पेंशन की राशि प्रदान करता है। पेंशन राशि को योग्यता सेवा की अवधि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को भुगतान किया जाना था।

5. 22.05.2008 को एक ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें उन सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन का प्रावधान किया गया था, जो 1996 के पेंशन नियम लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। इसमें प्रावधान किया गया था कि 1996 से पहले के ऐसे पेंशनभोगियों की मूल पेंशन, पेंशनभोगियों द्वारा अंतिम बार धारित पद के संबंध में 01.09.1996 से लागू संशोधित वेतनमानों में न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी और यदि मौजूदा पेंशन कम थी, तो उसे 01.04.2008 से संशोधित किया जाना था। इसमें आगे प्रावधान किया गया था कि 1996 से पहले के पारिवारिक पेंशनभोगियों की मूल पारिवारिक पेंशन, 01.09.1996 से लागू संशोधित वेतनमानों में न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी।

6. 12.09.2008 को एक और अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा 1996 के पेंशन नियमों में और संशोधन किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत, 01.09.2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी "परिलब्धियों" की संशोधित परिभाषा के आधार पर मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हो गए, जिसमें चालू वेतन बैंड + ग्रेड वेतन और एनपीए/एनसीए (गैर-अभ्यास भत्ता/ गैर-परामर्श भत्ता) में वेतन की राशि शामिल होगी, जो उन्हें सेवानिवृत्ति से ठीक पहले या सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पहले के अंतिम 10 महीनों के औसत के आधार पर मिल रही थी या

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

मिलने का हकदार था, जो भी लाभप्रद हो। उपरोक्त अधिसूचना द्वारा, पेंशन नियमों 1996 में नियम 54A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत क्रमशः 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशनभोगियों की मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन में नाममात्र की वृद्धि का प्रावधान है।

7. यह पहली बार था जब याचिकाकर्ता संख्या 1-सोसायटी के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंताओं/सदस्यों को व्यथित महसूस हुआ क्योंकि उनके अनुसार, 1996 से पहले और 1996 के बाद के पेंशनभोगियों के बीच एक अलग व्यवहार लागू किया गया था। जहाँ 1996 के बाद के पेंशनभोगी पेंशन पाने के हकदार थे, जिसकी गणना सेवानिवृत्ति की तिथि पर उनके द्वारा प्राप्त अंतिम कुल परिलब्धियों के 50% के आधार पर की जानी थी, वहीं 1996 से पहले के पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन उस पद के वेतनमान के न्यूनतम के 50% तक सीमित थी, जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए थे, चाहे उनकी सेवा की अवधि और उनके द्वारा अर्जित वार्षिक वेतन वृद्धि कुछ भी हो।

8. 12.09.2008 को राज्य द्वारा विभिन्न ज्ञापन जारी किए गए। प्रथम ज्ञापन संख्या एफ.12(3) वित्त विभाग (नियम)/2008 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि 1.9.2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को विद्यमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ जोड़कर समेकित किया जाएगा, जिसमें पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50% दर से महँगाई पेंशन, मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 24% दर से महँगाई राहत और कुछ अपवादों के साथ फिटमेंट वेटेज शामिल होगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की समेकित पेंशन पद के न्यूनतम वेतन के योग के 50% से कम नहीं होगी और पारिवारिक पेंशनभोगियों की समेकित पेंशन पद के न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी।

9. 12.09.2008 को जारी एक अन्य ज्ञापन संख्या एफ.12(4) एफडी (नियम)/2008 में मौजूदा पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत प्रदान करने का प्रावधान किया गया।

10. समय के साथ, 06.04.2013 को एक और ज्ञापन संख्या एफ.12(3) एफडी/नियम/2008 जारी किया गया, जिसके तहत, दिनांक 12.09.2008 के पूर्ववर्ती ज्ञापन में संशोधन करके “01.09.2006” और “01.09.2006 से पूर्व” शब्दों और अंकों के स्थान पर “01.01.2006 और “01.01.2006 से पूर्व” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए गए तथा विद्यमान “31.08.2006” के स्थान पर “31.12.2005” अंक प्रतिस्थापित किए गए। दिनांक 12.09.2008 के ज्ञापन के पैरा 14 में भी संशोधन किया गया, जिसमें

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

यह प्रावधान किया गया कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन के समेकन के कारण 01.01.2006 से 31.12.2006 तक कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।

11. एक अन्य ज्ञापन संख्या 12(2) एफ.डी./नियम/2013 दिनांक 18.06.2013 को जारी किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन, उक्त ज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारण तालिका के संदर्भ में, उस पद के पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप, जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे, दिनांक 01.01.2006 को निर्धारित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन के योग के 50% तक बढ़ा दी जाएगी।

12. इससे पहले, अधिसूचना संख्या एफ.14(2) एफ.डी./नियम/2008 दिनांक 29.12.2011 को जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 (जिसे आगे 'वेतन नियम 2008' कहा जाएगा) में संशोधन किया गया था, जिसमें मुख्य अभियंताओं और समकक्ष को दिए जाने वाले मौजूदा ग्रेड वेतन 23 (8900 रुपये) को ग्रेड वेतन 24 (10000 रुपये) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 20.07.2011 से प्रभावी। हालांकि, जो पेंशनभोगी 20.07.2011 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, वे ग्रेड पे 23 (8900 रुपये) के अनुसार पेंशन लेते रहे, जो न्यूनतम पेंशन 24295 रुपये (तालिका 33) के अनुरूप है। दूसरी शिकायत 20.07.2011 को कटऑफ प्रदान करने के कारण उत्पन्न हुई। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 20.07.2011 से ग्रेड पे में संशोधन होने के बाद, ग्रेड पे 24 (10000 रुपये) के अनुसार न्यूनतम पेंशन दी जानी चाहिए, जो राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 12 के संदर्भ में अनुसूची III में संलग्न 27350 रुपये (तालिका 34) के अनुरूप है। शिकायत इसलिए उत्पन्न हुई, क्योंकि पेंशनभोगी संख्या 1-सोसायटी के सदस्य, जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, को ग्रेड पे 24 नहीं दिया गया है। राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में सेवानिवृत्त मुख्य अभियंताओं से संबंधित प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि चूंकि वे 20.07.2011 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए वे पेंशन संशोधन के हकदार नहीं हैं।

13. जैसा कि ऊपर बताया गया है, पेंशन की गणना के प्रयोजनों के लिए परिलब्धियों, ग्रेड वेतन और ग्रेच्युटी के आधार पर कटऑफ तिथि प्रदान करके पेंशनभोगियों के साथ किए गए विभेदकारी व्यवहार को तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

<u>याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियां:</u>

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

14. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का पहला तर्क यह है कि चूंकि पेंशनभोगी उन परिलब्धियों के आधार पर पेंशन प्राप्त कर रहे थे, जो वे सेवानिवृत्ति की अपनी-अपनी तिथियों पर प्राप्त कर रहे थे, न कि वेतनमान के न्यूनतम वेतन के आधार पर, जो वे प्राप्त कर रहे थे, 22.05.2008 के ज्ञापन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय और उसके बाद 12.09.2008 को जारी अधिसूचना और ज्ञापन द्वारा संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर परिलब्धियों को काल्पनिक रूप से वेतन निर्धारित करके पेंशन के संशोधन की नीति तैयार करना, पेंशन नियम 1996 के नियम 54 के साथ पठित नियम 45 में निहित प्रावधानों के विपरीत है। प्रस्तुतियां यह है कि एक बार पेंशन को संशोधित करने का नीतिगत निर्णय ले लिया गया, तो पेंशन देने का आधार 1966 के पेंशन नियम 54 के साथ पठित नियम 45 में निहित फार्मूले के आधार पर होना चाहिए इस नीति के परिणामस्वरूप असमानों को समान माना जाता है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए, यह उदाहरण दिया गया है कि जब एक मुख्य अभियंता सेवानिवृत्त होता है और सेवानिवृत्ति के समय, वह दिए गए वेतनमान में पाँच वेतन वृद्धि के साथ वेतन प्राप्त कर रहा था, जो वह वास्तव में प्राप्त कर रहा था, तो उसे उच्च पेंशन राशि दी जाएगी, जबकि, एक अन्य मुख्य अभियंता, जिसे सेवानिवृत्ति के समय केवल दो वेतन वृद्धि मिल रही थी, उसे कम पेंशन राशि दी जाएगी। यदि पेंशन संशोधन के उद्देश्य से वेतनमान के न्यूनतम संशोधित वेतन पर उनका वेतन काल्पनिक रूप से निर्धारित करके उन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो यह असमानों को समान मानने के समान होगा।

15. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का एक और तर्क यह है कि जब भी सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू वेतन नियमों के विभिन्न संशोधनों के अंतर्गत वेतनमान संशोधित किए जाते हैं, तो कल्याणकारी राज्य के रूप में राज्य संवैधानिक और कानूनी रूप से उस वेतन के काल्पनिक निर्धारण के आधार पर पेंशन को संशोधित करने के लिए बाध्य है जो सेवानिवृत्त कर्मचारी वास्तव में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त कर रहा था, उचित स्तर पर संशोधित वेतन में और फिर पेंशन नियम 1996 के नियम 54 में निहित प्रावधानों के अनुसार पेंशन की राशि की गणना करना। पेंशन संशोधन की नीति तैयार करने के मामले में राज्य मूल्य मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की बढ़ती लागत से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। एक बार जब सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य द्वारा लागू कर दी जाती हैं, तो यह स्वीकार किया जाता है कि बढ़ते मूल्य सूचकांक और बढ़ी हुई जीवन-यापन लागत की वेतन वृद्धि द्वारा उचित रूप से भरपाई की

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

जानी आवश्यक है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पेंशनभोगियों के मामले में भी यही सिद्धांत लागू न किया जाए और वेतन संशोधन होने पर पेंशन को संशोधित न किया जाए और वह भी संशोधित वेतन में वेतन के उचित स्तर पर काल्पनिक निर्धारण द्वारा, सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त किए जा रहे परिलब्धियों को ध्यान में रखते हुए।

16. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि हालांकि राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में संशोधन करते हुए 29.12.2011 को जारी अधिसूचना में मौजूदा ग्रेड पे 23 (8900 रुपये) को ग्रेड पे 24 (10000 रुपये) से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया था, एक मनमानी कटऑफ तिथि प्रदान की गई थी कि जो पेंशनभोगी 20.07.2011 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, वे ग्रेड पे 23 (8900 रुपये) के अनुसार पेंशन प्राप्त करना जारी रखेंगे, जो न्यूनतम पेंशन 24295 रुपये के अनुरूप है (तालिका 33)। इस बात में कोई समझदारी भरा अंतर नहीं है कि संशोधित ग्रेड पे का लाभ केवल 20.07.2011 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों तक ही सीमित क्यों था। आगे यह भी दलील दी गई है कि संशोधित नियम यह स्पष्ट करता है कि यह प्रतिस्थापन का मामला था न कि केवल नए ग्रेड पे को शामिल करने का। इसलिए, प्रतिस्थापन का प्रभाव यह होगा कि 10,000 रुपये का ग्रेड वेतन उस दिन से वैधानिक नियम का हिस्सा माना जाएगा जिस दिन नियम बनाए गए थे, न कि उस तारीख से जब इसे वास्तव में संशोधित अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ग्रेड वेतन के प्रतिस्थापन के संबंध में मनमानी कटऑफ तारीख के परिणामस्वरूप पेंशनभोगियों के एक वर्ग, मुख्य अभियंताओं को वित्तीय नुकसान हुआ है क्योंकि जो लोग प्रतिस्थापन के आदेश से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें 8,900 रुपये का ग्रेड वेतन मिल रहा था और इसलिए उन्हें स्तर 22 पर रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनका वेतन काल्पनिक रूप से स्तर 22 के वेतनमान के न्यूनतम पर तय किया गया है जो कि 1,29,700 रुपये है, जबकि, जो लोग संशोधनों के लागू होने के बाद 10,000 रुपये का उच्च ग्रेड वेतन प्राप्त कर रहे थे, उनका वेतन काल्पनिक रूप से स्तर 24 के वेतनमान के न्यूनतम पर तय किया गया है, जो कि 1,48,000 रुपये है। इस प्रकार, यह शिकायत के रूप में व्यक्त किया गया है कि पेंशनभोगी मुख्य अभियंताओं को 20.07.2011 से पहले और बाद में लागू ग्रेड वेतन के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पेंशनभोगी मुख्य अभियंताओं का वर्गीकरण आकस्मिक कटऑफ तिथि के अलावा किसी भी तर्कसंगत आधार पर नहीं है, इसलिए, प्रतिवादी कानून के तहत सभी सेवानिवृत्त मुख्य अभियंताओं

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

को एक ही ग्रेड वेतन प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, जब ग्रेड वेतन 29.12.2011 की अधिसूचना के तहत संशोधित किया गया था।

17. यद्यपि प्रतिवादियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी को 3,50,000/- रुपये से बढ़ाकर 10,00,000/- रुपये कर दिया है, वह भी पूर्वव्यापी प्रभाव से, यह लाभ पेंशनभोगियों के एक वर्ग तक सीमित नहीं हो सकता था और वे सभी पेंशनभोगी जो समान सेवा अवधि प्रदान करने के बाद एक ही पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, वे समान राशि के ग्रेच्युटी के हकदार हैं और ग्रेच्युटी की राशि में कोई अंतर स्वीकार्य नहीं है। इस दलील पर, हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि एक बार ग्रेच्युटी की राशि संशोधित हो जाने पर, न केवल वे लोग जो संशोधन की प्रभावी तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए, बल्कि वे लोग भी, जो ग्रेच्युटी के संशोधन की प्रभावी तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, ग्रेच्युटी के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करके बढ़ी हुई दर से ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, चूँकि संशोधित वेतनमान 01.01.2007 से प्रभावी हुए थे, इसलिए 10,00,000/- रुपये की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ उन सभी लोगों को भी दिया जाना चाहिए था जो 01.01.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे।

18. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का एक अन्य तर्क यह है कि संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर काल्पनिक वेतन निर्धारण के कारण विभिन्न अधिसूचनाओं और ज्ञापनों के तहत 2008 की पेंशन संशोधन नीति में जो विसंगतियां आ गई थीं, उन्हें अंततः प्रतिवादियों द्वारा दूर कर दिया गया था और इस याचिका के लंबित रहने के दौरान जारी की गई दिनांक 06.06.2018 की अधिसूचना के तहत पेंशन संशोधन की बाद की नीति में, अब यह निर्देश दिया गया है कि सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में जिनके मामले में सेवानिवृत्ति/मृत्यु 01.01.2016 से पहले हुई थी, पेंशन/पारिवारिक पेंशन को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में उनके वेतन को काल्पनिक रूप से निर्धारित करके संशोधित किया जाएगा, जो सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय लागू वेतनमान/रनिंग पे बैंड और ग्रेड पे में वेतन के अनुरूप होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि यह प्रक्रिया समय-समय पर वेतनमान के प्रत्येक संशोधन के अंतर्गत काल्पनिक वेतन निर्धारण द्वारा की जाएगी, साथ ही यह निर्देश भी दिया जाएगा कि 01.01.2016 को काल्पनिक वेतन का 50% संशोधित पेंशन होगा और काल्पनिक वेतन का 30% संशोधित पारिवारिक पेंशन होगा। इस नई संशोधित नीति ने केवल आंशिक निवारण/सुधार किया है क्योंकि

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

पेंशन/पारिवारिक पेंशन का बकाया केवल 01.01.2017 से देय बनाया गया है। हालाँकि, 06.06.2018 के ज्ञापन को आगे बढ़ाने और लागू करने के लिए जो प्रक्रिया आवश्यक थी, वह नहीं की गई है और प्रतिवादी अभी भी संशोधित वेतनमान के न्यूनतम तक सीमित वेतन को काल्पनिक रूप से संशोधित करके पेंशन को संशोधित करना जारी रखे हुए हैं। दिनांक 06.06.2018 के ज्ञापन द्वारा प्रख्यापित पेंशन संशोधन की नई नीति के अंतर्गत, पेंशन प्राधिकारियों को सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली वेतन वृद्धि की संख्या को जोड़कर प्रत्येक क्रमिक संशोधित वेतनमान में वेतन को काल्पनिक रूप से संशोधित करना आवश्यक है और फिर पेंशन नियम 1996 के नियम 54 के प्रावधानों के तहत परिलब्धियों की काल्पनिक गणना की जानी है और उस आधार पर पेंशन की गणना की जानी है। अपने निवेदन के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कई निर्णयों का हवाला दिया है।[1]

---

1 (1) डी.एस. नाकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ, (1983) 1 एससीसी 305
(2) एम.सी. ढींगरा बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1996) 7 एससीसी 564
(3) धन राज एवं अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य, (1998) 4 एससीसी 30
(4) भारत संघ बनाम बिधुभूषण मलिक एवं अन्य, (1984) 3 एससीसी 95

<u>प्रतिवादियों की ओर से निवेदन-राज्य:</u>

19. प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संख्या 1-सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि मांगी गई राहतें सोसाइटी के व्यक्तिगत सदस्यों के लिए हैं, जो व्यक्तिगत तथ्यों और प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति से संबंधित विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी, जो उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि और समय-समय पर जारी संशोधन नीति, परिपत्र की परिणामी प्रयोज्यता पर निर्भर करेगा।

प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई इस प्रार्थना का विरोध किया कि समय-समय पर वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में, सेवारत सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के बाद पेंशन को संशोधित करने के लिए राज्य पर कोई संवैधानिक या कानूनी दायित्व नहीं है। हालाँकि, राज्य ने समय-समय पर पेंशन को भी संशोधित किया है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन पाने का हकदार है। याचिकाकर्ता संख्या 1 सोसाइटी का यह मामला नहीं है कि उसके किसी भी सदस्य की पेंशन की गणना करते समय, पेंशन नियम 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ऐसा न

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

(5) एन.एल. अभ्यंकर एवं अन्य बनाम भारत संघ, (1984) 3 एससीसी 125
(6) भारत संघ एवं अन्य बनाम देवकी नंदन अग्रवाल, (1992) सप्प (1) एससीसी 323
(7) आर.एल. मारवाहा बनाम भारत संघ व अन्य, (1987) 4 एससीसी 31
(8) कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ व अन्य, तथा संबंधित मामले (1990) 4 एससीसी 207
(9) वी. कस्तूरी बनाम प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, बॉम्बे व अन्य, (1998) 8 एससीसी 30
(10) भारत संघ व अन्य बनाम एसपीएस वेंस (सेवानिवृत्त) व अन्य, (2008) 9 एससीसी 125
(11) ए.एन. सचदेवा (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों व अन्य द्वारा, बनाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक व अन्य, (2015) 10 एससीसी 117
(12) भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य बनाम कृष्ण मुरारी लाल अस्थाना व अन्य, (2016) 6 एससीसी 515
(13) के.जे.एस. बुट्टर बनाम भारत संघ व अन्य, (2011) 11 एससीसी 429
(14) पी. रामकृष्णम राजू बनाम भारत संघ व अन्य, (2014) 12 एससीसी 1
(15) राजस्थान राज्य व अन्य बनाम महेंद्र नाथ शर्मा, (2015) 9 एससीसी 540
(16) ऑल मणिपुर पेंशनर्स एसोसिएशन (इसके सचिव द्वारा) बनाम मणिपुर राज्य एवं अन्य, (2020) 14 एससीसी 625
(17) वी. सुकुमारन बनाम केरल राज्य एवं अन्य, (2020) 8 एससीसी 106
(18) प्रेम चंद सोमचंद शाह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1991) 2 एससीसी 48
(19) ज़िले सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2004) 8 एससीसी 1

होने पर, यह तर्क दिया गया है कि यह मान लिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता संख्या 1-सोसायटी के सभी सदस्य, जिनमें मुख्य अभियंता भी शामिल हैं, जिनका पक्ष इस याचिका में लिया गया है, पेंशन नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार अपनी पेंशन का उचित निर्धारण करने के बाद पेंशन प्राप्त कर चुके हैं।

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि पेंशन नियम 1996 के तहत, पेंशन की राशि पेंशन नियम 1996 के नियम 54 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है और परिलब्धियों की गणना नियम 54 में निहित प्रावधानों के आधार पर की जाती है। पेंशन का निर्धारण उस परिलब्धियों के आधार पर किया जाता है जो एक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर वास्तव में प्राप्त कर रहा था। इसलिए, पेंशन संशोधन का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता, बल्कि पेंशन संशोधन योजना के दायरे में ही किया जा सकता है।

बढ़ते मूल्य सूचकांक और जीवन-यापन की बढ़ती लागत से निपटने के लिए संशोधित दर पर पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से, राज्य ने अपने पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए,

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

पेंशन संशोधन की नीति लागू की है। संशोधित वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर वेतन के काल्पनिक निर्धारण द्वारा पेंशन संशोधन का नीतिगत निर्णय, उन पेंशनभोगी मुख्य अभियंताओं के लिए लाभकारी है, जो 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। पेंशन निर्धारण के मामले में नियम 54 के साथ पठित नियम 45 के अंतर्गत डाला गया दायित्व उस परिलब्धियों के संदर्भ में है जो कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त कर रहा था और यह अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है कि जब भी भविष्य में वेतन संशोधन होगा, तो पेंशन की गणना के लिए उस वेतनमान को ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि सेवानिवृत्त कर्मचारी 1996 के पेंशन नियमों के नियम 54 के साथ पठित नियम 45 के अनुसार पेंशन का हकदार है, जो उस वेतनमान के संदर्भ में है जो वह वास्तव में सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त कर रहा था, न कि उस संशोधित वेतनमान के संदर्भ में जिसे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सेवारत कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए समय-समय पर लागू किया गया था।

हालांकि कोई वैधानिक दायित्व नहीं था, फिर भी कल्याणकारी राज्य के रूप में राज्य ने वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कुछ सीमाओं के साथ पेंशन नीति को संशोधित करने का निर्णय लिया और इसलिए 22.05.2008 की अधिसूचना और 12.09.2008 को जारी ज्ञापन के माध्यम से संशोधित वेतनमान के न्यूनतम को वेतन के काल्पनिक निर्धारण का आधार बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन में परिणामी संशोधन हुआ। इसका उद्देश्य उन पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाना था जो सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे और उनकी पेंशन 01.01.1996 से पहले के वेतनमानों में तय की गई थी, जो काफी कम थे। वेतन संशोधन का उद्देश्य होने के नाते, जो गैरकानूनी या असंवैधानिक नहीं है, मुख्य अभियंताओं सहित 01.01.1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों के काल्पनिक निर्धारण का फार्मूला किसी भी मनमानी से ग्रस्त नहीं है और इसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती

प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि 8900/- रुपये का ग्रेड पे केवल 20.07.2011 से संशोधित किया गया था। 29.12.2011 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधन के परिणामस्वरूप राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए कट-ऑफ तिथि निर्धारित की गई थी। पेंशन का निर्धारण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति की तिथि और तत्कालीन मौजूदा पेंशन नियमों से जुड़ा है। 20.07.2011 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनभोगियों को तत्कालीन मौजूदा

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

ग्रेड पे 23 (8900/- रुपये) का लाभ मिलता था। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया है कि 10,000/- रुपये की दर से नए ग्रेड पे 24 का प्रतिस्थापन पूर्वव्यापी नहीं किया जा सकता, बल्कि कोई न कोई कट-ऑफ तिथि प्रदान की जानी चाहिए। तदनुसार, नियम 20.07.2011 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित करता है। उपर्युक्त अधिसूचना की वैधता को चुनौती न दिए जाने के कारण, अधिसूचना में निहित प्रावधानों के विपरीत किसी राहत का दावा परमादेश रिट जारी करके नहीं किया जा सकता।

प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1-सोसाइटी द्वारा दिनांक 06.06.2018 के ज्ञापन द्वारा नई पेंशन संशोधन नीति पर आधारित विभिन्न तथ्य केवल कुछ आधारों पर रिकॉर्ड में लाए गए हैं, जो निराधार हैं। चूँकि पेंशन संशोधन की नई नीति 06.06.2018 को प्रख्यापित की गई है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि पेंशन संशोधन के मामले में नई नीति लागू रहेगी।

प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि ग्रेच्युटी बढ़ाने की तिथि, जिसे 01.01.2007 से बढ़ाया गया है, तय करने की चुनौती बिना किसी आधार के है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिसूचना दिनांक 21.03.1998 के संबंध में ग्रेच्युटी के लाभ के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष पहले भी इसी तरह की चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था और उक्त निर्णय को इस न्यायालय की खंडपीठ ने सुरेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, डी.बी. सिविल रिट याचिका (सीडब्ल्यू) संख्या **4228/2014** के मामले में बरकरार रखा था, जिसका निर्णय 29.08.2016 को हुआ। इसलिए, कटऑफ तिथि को चुनौती खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति के समय देय होती है और इसलिए, ग्रेच्युटी की दरें जो लागू थीं और सेवानिवृत्ति की तिथि पर लागू थीं, वही लागू होंगी। भविष्य में ग्रेच्युटी की दर में कोई भी और वृद्धि केवल उन लोगों पर लागू होगी जो ग्रेच्युटी के संशोधन की तिथि को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और इसे उन लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता है जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। किसी पेंशनभोगी को अपनी पेंशन या ग्रेच्युटी में संशोधन की मांग करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है, हालांकि राज्य अपने वित्तीय संसाधनों और निहितार्थों के अधीन संशोधन की नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। अपने तर्कों के समर्थन में, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने कई निर्णयों पर भरोसा किया है।[2]

<u>प्रस्तुतियों और निष्कर्ष का विश्लेषण:</u>

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

20. पेंशन का अनुदान चाहे वह अधिवर्षिता पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन, अशक्त पेंशन, असाधारण पेंशन हो या अन्यथा, राजस्थान राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारी को देय सभी प्रकार की पेंशन समय-समय पर प्रख्यापित प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं। वर्ष 1951 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा राजस्थान सेवा नियम तैयार किए गए थे। ये नियम न केवल राजस्थान राज्य की सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों के नियमों और शर्तों को नियंत्रित और विनियमित करते थे, बल्कि इनमें निम्नलिखित प्रावधान भी शामिल थे:

---

2 (1) महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम पूर्व कर्मचारी संघ एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, सिविल अपील संख्या 778/2023, 02.02.2023 को निर्णीत।
(2) इंद्र चंद्र तिवारी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17719/2016, 04.04.2017 को निर्णीत।
(3) सुरेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, डी.बी. सिविल रिट याचिका (सीडब्ल्यू) संख्या 4228/2014, 29.08.2016 को निर्णीत।
(4) चिरंजी लाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा संबंधित याचिकाएँ, डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 23595/2018, 29.07.2022 को निर्णय लिया गया।

पेंशन के संबंध में एक अलग भाग, यानी भाग VIII (खंड I-भाग-बी) के तहत प्रावधान है। बाद में, राज्य विधानमंडल ने भी राजस्थान पेंशन अधिनियम 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 27) अधिनियमित किया। इस अधिनियम में 11 धाराएं हैं और इसमें सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन के कुछ पहलुओं को व्यापक रूप से नियंत्रित करने वाले बुनियादी प्रावधान हैं। बाद में, राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन नियम 1996 के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को देय पेंशन को नियंत्रित करने वाले बिल्कुल अलग नियम बनाए। राजस्थान सेवा नियम 1951 (खंड I-भाग-बी) में निहित प्रावधानों को तदनुसार 01.10.1996 से निरस्त कर दिया गया, जिससे 01.10.1996 से पेंशन नियमों की नई व्यवस्था अस्तित्व में आई। पेंशन नियम 1996 के नियम 54 में पेंशन की राशि के संबंध में प्रावधान किया गया था, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा। जहाँ तक सरकार में उच्चतम वेतन का संबंध है, याचिकाकर्ता संख्या 1-सोसायटी के सदस्य होने के नाते, मुख्य अभियंताओं की सेवानिवृत्ति के समय लागू प्रासंगिक नियम को त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:

क-(ii) पेंशन की राशि

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

"54. पेंशन की राशि: सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, अशक्तता और क्षतिपूर्ति पेंशन तथा सेवा उपदान की राशि निम्नानुसार होगी –

(1) दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की स्थिति में, सेवा उपदान की राशि की गणना अर्हक सेवा की प्रत्येक पूर्ण की गई छमाही अवधि के लिए आधे महीने के परिलब्धियों की दर से की जाएगी।

(2) (क) कम से कम अट्ठाईस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की स्थिति में, पेंशन की राशि की गणना परिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर की जाएगी, जो अधिकतम सरकार में उच्चतम वेतन [(सरकार में उच्चतम वेतन 1.1.2016 से 2,18,600/- रुपये है)] के पचास प्रतिशत तक होगी, जैसा कि इन नियमों के नियम 45 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसे सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था।

(ख) यदि कोई सरकारी सेवक इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अट्ठाईस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले, किन्तु दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त होता है, तो पेंशन की राशि खंड (क) के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की राशि के समानुपातिक होगी और किसी भी स्थिति में पेंशन की राशि [आठ हजार आठ सौ पचास रुपये प्रति माह] से कम नहीं होगी।]

(ग) खंड (क) और खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, अशक्त पेंशन की राशि नियम 62 के उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन की राशि से कम नहीं होगी।

(3) अर्हक सेवा की अवधि की गणना करते समय, तीन महीने या उससे अधिक के बराबर एक वर्ष के अंश को पूरा किया गया आधा वर्ष माना जाएगा और अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा।

(4) उप-नियम (2) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अंतिम रूप से निर्धारित पेंशन की राशि पूरे रुपए में व्यक्त की जाएगी और जहां पेंशन में एक रुपए का अंश शामिल है, उसे अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

21. इसके उप-नियम (2) में सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को देय पेंशन की राशि के संबंध में वैधानिक नीति निहित है, जिसमें यह प्रावधान है कि नियमों के प्रावधानों के अनुसार कम से कम अट्ठाईस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के लिए पेंशन की राशि की गणना समय-समय पर निर्धारित अधिकतम के अधीन सरकार में उच्चतम वेतन के अधीन, पेंशन नियम 1996 के नियम 45 के तहत परिभाषित, परिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर की जाएगी, जिसे सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था।

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

पेंशन नियम, 1996 के नियम 54 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के खंड (ख) में क्रमशः अट्ठाईस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले, लेकिन दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के मामले में पेंशन की राशि का प्रावधान है। उन मामलों में, खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, पेंशन की राशि के संबंध में एक अलग सूत्र प्रदान किया गया है। तथापि, सभी मामलों में, चाहे वे उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अंतर्गत आते हों, आधार पेंशन नियम 1996 के नियम 45 के अंतर्गत परिभाषित परिलब्धियाँ हैं, जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था।

22. पेंशन नियम 1996 के प्रख्यापन से पूर्व भी, राजस्थान सेवा नियम 1951 (जिसे आगे '1951 के नियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत देय पेंशन की पूर्व-विद्यमान योजना के अंतर्गत, पेंशन का आधार वे परिलब्धियाँ थीं, जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था।

23. अतः, प्रारंभ से ही, राजस्थान राज्य में, पेंशन का अनुदान भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होता है। अतः, एक पेंशनभोगी, अधिकार के रूप में, पेंशन के अनुदान को नियंत्रित और विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार ही पेंशन का दावा कर सकता था, अन्यथा नहीं।

पेंशन नियम 1996 के नियम 45 में परिलब्धियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

अध्याय **IV**

परिलब्धियाँ

"45. परिलब्धियाँ

[पेंशन, सेवा ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति "परिलब्धियां" का अर्थ पद के वेतन मैट्रिक्स में लेवल में वेतन का योग, एनपीए/एनसीए और विशेष वेतन, यदि कोई हो, जो एक सरकारी कर्मचारी प्राप्त कर रहा था/या जिसका वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले या अपनी मृत्यु की तिथि पर हकदार था।]

बशर्ते कि परिलब्धियों में विशेष वेतन का समावेश सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पहले पिछले दस महीनों के औसत के आधार पर होगा, जो भी लाभकारी हो।]

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि पेंशन के लिए परिलब्धियों की गणना के लिए चिकित्सा अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों के एनपीए को शामिल करते हुए, सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पहले पिछले 3 वर्षों में से न्यूनतम 2 वर्ष की

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

अवधि के लिए एनपीए का आहरण आवश्यक होगा। ऐसे मामले में जहां एनपीए के आहरण की अवधि 2 वर्ष से कम है, इसे आनुपातिक आधार पर पेंशन की गणना के लिए परिलब्धियों में शामिल किया जाएगा। इस परंतुक का प्रावधान उन चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षकों के संबंध में लागू होगा जो इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि के बाद सेवानिवृत्त होते हैं।

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि वेतन मैट्रिक्स में लेवल के वेतन और एनपीए/एनसीए के योग पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते की राशि, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय कोई हो, जैसा भी मामला हो, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

24. साधारणतः पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि पारिश्रमिक वह है जो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले या मृत्यु की तिथि पर प्राप्त कर रहा था/या जिसका वह हकदार था।

25. पेंशन नियम, 1996 के नियम 45 और 54 के संयुक्त पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि नियमों के अंतर्गत पेंशन सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उस परिलब्धियों के आधार पर देय है जो वह अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर वास्तव में प्राप्त कर रहा था या जिसका हकदार था। नियमों के तहत सूचीबद्ध किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने, या अन्यथा सेवानिवृत्त होने की स्थिति में, पेंशन नियम 1996 के नियम 62 के तहत पारिवारिक पेंशन देय होती है। पेंशन नियम 1996 के नियम 62 के तहत प्रदान की गई पारिवारिक पेंशन के मामले में, स्वीकार्य राशि, पेंशन नियम 1996 के नियम 62 के तहत प्रदान की गई कुछ न्यूनतम और अधिकतम राशि के अधीन परिलब्धियों के 30% की दर से है।

26. इसलिए, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को देय पेंशन की राशि या मृत्यु पर देय पारिवारिक पेंशन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियम हमेशा उन परिलब्धियों से जुड़े रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि या अपनी मृत्यु की तिथि पर प्राप्त कर रहा था।

परिणामस्वरूप, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन उसकी वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर देय होती है, जो पेंशन नियम 1996 के नियम 45 के तहत परिलब्धियों की परिभाषा और पेंशन नियम 1996 के नियम 54 में निहित सूत्र को लागू करती है। चूंकि सरकारी सेवा में किसी भी पद पर आसीन सरकारी कर्मचारी को देय वेतन परिवर्तनशील होता है और समय-समय पर प्रख्यापित विभिन्न वेतन संशोधन नियमों के तहत वेतन संशोधन के कारण स्थिर नहीं होता है, इसलिए किसी

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

निश्चित समय पर किसी विशेष पद से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को देय पेंशन, उस पेंशन से भिन्न होती है जो उस सरकारी कर्मचारी को दी जा रही थी जो पहले या बाद में वेतन संशोधन नियमों के तहत वेतन के निरंतर और आवधिक संशोधन के कारण परिलब्धियों में परिवर्तन के कारण उसी पद से सेवानिवृत्त हुआ था।

जैसा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता संख्या 1-सोसायटी सरकार के विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंताओं की शिकायत को उठाना चाहती है, एक मुख्य अभियंता जो किसी विशेष समय पर सेवानिवृत्त होता है, पेंशन का हकदार होगा और पेंशन की राशि 1996 के पेंशन नियम के नियम 45 में परिभाषित परिलब्धियों के आधार पर 1996 के पेंशन नियम के नियम 54 में निहित फार्मूले को लागू करके तय की जाएगी। हालांकि, वे मुख्य अभियंता जो वेतन नियमों के संशोधन के तहत वेतन में संशोधन के कारण काफी समय के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे वास्तव में अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर प्राप्त होने वाले परिलब्धियों के संदर्भ में 1996 के पेंशन नियम के नियम 45 के साथ नियम 54 को लागू करके पेंशन के हकदार होंगे। जाहिर है, बाद के मामले में और पहले वाले दोनों मामलों में, दो व्यक्ति एक ही पद, यानी मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए होंगे, लेकिन उनकी पेंशन अलग-अलग होगी क्योंकि दोनों सेवानिवृत्तियों के बीच, वेतनमान, ग्रेड वेतन या परिलब्धियों की परिभाषा में शामिल अन्य लाभों में संशोधन होता है, जिसके परिणामस्वरूप परिलब्धियों की राशि बढ़ जाती है। इसलिए, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त होने वाले सभी व्यक्ति समान पेंशन पाने के हकदार हैं।

27. न तो 1951 के पुराने नियमों के अंतर्गत, और न ही 1996 के नए पेंशन नियमों के अंतर्गत, पेंशन में आवधिक संशोधन की योजना को शामिल करने का कोई प्रावधान मौजूद है। हालाँकि, सरकार, एक आदर्श नियोक्ता के रूप में, जीवन-यापन सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन में भी संशोधन करती रही है। इस स्तर पर, यह उल्लेख करना उचित होगा कि पेंशन के अतिरिक्त, पेंशन नियम 1996 के नियम 77 और 77 ए के अंतर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत और पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर अंतरिम राहत के भुगतान का भी प्रावधान है। ये प्रावधान, पेंशन में संशोधन का कोई प्रावधान न होने पर भी, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दरों और शर्तों के अधीन मूल्य वृद्धि के विरुद्ध राहत प्रदान करते हैं।

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

28. पेंशन नियमों 1996 में पेंशन के किसी आवधिक संशोधन के लिए कोई प्रावधान न होने के कारण, और सरकार पर पेंशन संशोधित करने के लिए डाले गए वैधानिक दायित्व के संबंध में कोई प्रावधान न होने के कारण, यह अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है कि जब भी वेतन संशोधन होता है, तो ग्रेड वेतन के साथ एक विशेष वेतन बैंड में संशोधित वेतन के आधार पर परिलब्धियों को काल्पनिक रूप से तय करके वेतन संशोधन की तारीख से पेंशन को संशोधित किया जाना है, हालांकि राज्य नीति के रूप में भी पेंशन को संशोधित कर रहा है, भले ही मौजूदा पेंशन नियमों 1996 के तहत पेंशन संशोधन की कोई वैधानिक योजना न हो।

29. यह सच है कि वेतन आयोग द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के आधार पर वेतन नियमों के विभिन्न संशोधनों के तहत समय-समय पर सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित किया गया है। हालाँकि, यह अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है कि पेंशन का संशोधन सरकारी कर्मचारी को देय वेतन के संशोधन की तिथि से प्रभावी होना चाहिए और वह भी एक विशेष तरीके से। राज्य, एक आदर्श नियोक्ता के रूप में, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पेंशन में संशोधन करता रहा है, कल्याणकारी राज्य और आदर्श नियोक्ता के रूप में संशोधन की नीति निर्धारित करते हुए, देर-सबेर वेतन संशोधित किया जाता है।

30. उपर्युक्त चर्चा याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के पहले दो निवेदनों का उत्तर देती है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने पेंशन के संशोधन के लिए परमादेश रिट जारी करने की प्रार्थना की है, जब भी वेतन नियमों के संशोधन के तहत सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित किया जाता है और वह भी एक विशेष तरीके से। पेंशन नियमों और 1996 के पेंशन नियमों के नियम 54 के वैधानिक अधिदेश के अनुसार, 1996 के पेंशन नियमों के नियम 45 के तहत परिभाषित परिलब्धियों के आधार पर, जो एक विशेष सरकारी कर्मचारी वास्तव में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त कर रहा था या जिसका हकदार था, पेंशन के एक वैधानिक अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है।

31. यद्यपि राज्य को वेतन संशोधन के साथ-साथ पेंशन संशोधन करने के लिए बाध्य करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान मौजूद नहीं है, जैसा कि नीचे चर्चा की जाएगी, फिर भी राज्य, एक आदर्श नियोक्ता होने के नाते, समय-समय पर पेंशन संशोधन करता रहा है। 22.05.2008 के ज्ञापन द्वारा, 1996 से पूर्व के राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन संशोधन

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

की एक नीति प्रख्यापित की गई, जिसमें समय-समय पर जारी वेतन संशोधन के पूर्व ज्ञापनों को आंशिक रूप से संशोधित किया गया। उपरोक्त ज्ञापन के प्रासंगिक अंश नीचे पुन: प्रस्तुत हैं:

> "राज्यपाल को यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1996 से पूर्व के पेंशनभोगी की 01.09.1996 को अंतिम 'मूल पेंशन' के रूप में मानी जाने वाली समेकित पेंशन, पेंशनभोगी द्वारा धारित अंतिम पद के 01.09.1996 से लागू संशोधित वेतनमानों में न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी, इस शर्त के अधीन कि पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करने के लिए अर्हक सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों में मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे।
>
> इसी प्रकार, 1996 से पूर्व के पारिवारिक पेंशनभोगी की अंतिम 'मूल पारिवारिक पेंशन', पेंशनभोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अंतिम पद के 01.09.1996 से लागू संशोधित वेतनमानों में न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी, जैसा भी मामला हो, इस शर्त के अधीन कि न्यूनतम पारिवारिक पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों में मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे।"

32. पेंशन संशोधन की उपर्युक्त योजना के तहत, राज्यपाल ने 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों को देय समेकित पेंशन के लिए एक सूत्र के आधार पर प्रावधान किया है, जिसके अनुसार अंतिम मूल पेंशन, पेंशनभोगी द्वारा धारित अंतिम पद के 01.09.1996 से लागू संशोधित वेतनमानों में न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी, बशर्ते कि पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान किया गया हो।

उपर्युक्त नीति को पढ़ने से पता चलता है कि सरकार का इरादा पेंशन को संशोधित करने का था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 1996 से पूर्व के पेंशनभोगी उस परिलब्धियों के आधार पर पेंशन प्राप्त कर रहे थे, जो वे वास्तव में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त कर रहे थे, जो काफी कम थी क्योंकि 01.09.1996 से पहले देय वेतन स्वयं बहुत कम था और सरकारी कर्मचारी ने सेवा के अधिकतम अर्हक वर्ष अर्जित किए होंगे और एक निश्चित समयावधि में वेतनमानों में उच्चतम स्तर पर वेतन प्राप्त कर रहा होगा। यह एक कल्याणकारी उपाय था कि संशोधित वेतनमानों के आधार पर पेंशन को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था, जिन्हें 01.09.1996 से लागू किया गया था। निश्चित रूप से, इस तरह की योजना से, 1996 से पहले के पेंशनभोगी को देय पेंशन में वृद्धि होने वाली थी, जिसके परिणामस्वरूप 1996 से पहले के पेंशनभोगी को 22.05.2008 के ज्ञापन की घोषणा की तिथि पर वास्तव में मिल रही पेंशन से अधिक पेंशन का हकदार था।

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

33. पेंशन का संशोधन राज्य द्वारा तैयार की गई नीति पर आधारित था, जिसमें पेंशन के संशोधन के तरीके और सीमा को निर्दिष्ट किया गया था। राज्य द्वारा तैयार की गई नीति यह थी कि पेंशन को संशोधित करने के प्रयोजनों के लिए, मूल पेंशन, कुछ शर्तों के अधीन, पेंशनभोगी द्वारा धारित अंतिम पद के 01.09.1996 से लागू संशोधित वेतनमानों में न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी। वेतन संशोधन, संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के संदर्भ में संशोधन को सीमित करना, अनिवार्य रूप से नीति निर्माण के क्षेत्र में आता है। पेंशन संशोधन के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक वह है जो 22.05.2008 के ज्ञापन में निर्धारित किया गया था। 01.09.1996 से संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के आधार पर पेंशन संशोधन से राज्य पर निश्चित रूप से वित्तीय भार बढ़ा। प्रतिवादी-राज्य का उत्तर है कि पेंशन संशोधन की नीति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है।

34. पेंशन नियम 1996 या किसी अन्य अधिनियम या नियम की वैधानिक योजना में निहित किसी वैधानिक आदेश के अभाव में, यह दावा करना उचित नहीं होगा कि पेंशन संशोधन का नीतिगत निर्णय लेते समय, संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर आधारित पेंशन संशोधन का फार्मूला या तो किसी कानून के प्रावधान का उल्लंघन करता है या फिर मनमाना है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 या किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है। पेंशन को संशोधित किया जाना है या नहीं, और यदि हाँ, तो किस तरीके से और किस सीमा तक और किस तिथि से संशोधित किया जाना है, ये अनिवार्य रूप से कार्यकारी नीति के दायरे में आते हैं। राज्य के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधन, राज्य द्वारा किसी विशेष तरीके से पेंशन संशोधन की नीति बनाने के लिए प्रासंगिक विचारणीय बिंदु हैं।

35. दिनांक 22.05.2008 के ज्ञापन द्वारा प्रख्यापित पेंशन संशोधन की नीति एक विशेष फॉर्मूले पर आधारित थी और केवल इसलिए कि इसमें पेंशन की राशि के रूप में 50% की गणना के लिए संशोधित वेतनमान के न्यूनतम को आधार बनाया गया था, इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। 1996 से पहले के सभी पेंशनभोगी, जो पेंशन की अलग-अलग राशि प्राप्त कर रहे होंगे, 1996 के पेंशन नियमों के नियम 45 में परिभाषित परिलब्धियों के आधार पर 1996 के पेंशन नियमों के नियम 54 में निहित फॉर्मूले को लागू करके गणना की गई, संशोधित पेंशन की नीति के लाभार्थी बन गए। यह सच है कि पेंशन के ऐसे संशोधन से पहले, मुख्य अभियंताओं सहित पेंशनभोगी, जो अलग-अलग समय पर

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

सेवानिवृत्त हुए थे और जिनकी परिलब्धियां अलग-अलग थीं और परिणामस्वरूप उन्हें पेंशन की अलग-अलग राशि का भुगतान किया जा रहा था, उन्हें पेंशन के संशोधन की नई योजना के तहत एक साथ जोड़ दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का यह तर्क कि इस तरह के संशोधन से सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी मुख्य अभियंता एक स्तर पर आ जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप असमानों के साथ समान व्यवहार होगा, भले ही वे सेवानिवृत्ति के समय अपने परिलब्धियों के रूप में अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहे हों या कम वेतन, खारिज किए जाने योग्य है। जैसा कि ऊपर पहले ही माना जा चुका है, 1996 के पेंशन नियमों में पेंशन संशोधन का कोई वैधानिक प्रावधान न होने के अभाव में, एक पेंशनभोगी, अधिकार के तौर पर, यह दावा नहीं कर सकता था कि वेतन संशोधन किसी विशेष तरीके से होना चाहिए। जबकि 1996 के पेंशन नियमों के नियम 45 के साथ पठित नियम 54 में निहित प्रावधान के अनुसार पेंशन की राशि का निर्धारण एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी का लागू करने योग्य अधिकार है, पेंशन का संशोधन अनिवार्य रूप से राज्य द्वारा बनाई गई नीति, यदि कोई हो, पर निर्भर करेगा। यदि कल्याणकारी उपाय के रूप में पेंशन संशोधन की नीति संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के संदर्भ में एक सूत्र के साथ सामने आती है, तो मनमानी के आधार पर इसका विरोध नहीं किया जा सकता है। यदि इस तरह के तर्क को स्वीकार किया जाता है, तो यह राज्य पर किसी भी वैधानिक दायित्व के अभाव में, संशोधित वेतनमान में अंतिम परिलब्धियों को काल्पनिक रूप से तय करके पेंशन की राशि के निर्धारण की मांग करने के अधिकार को लागू करने के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में, पेंशन नियमों के नियम 54 के साथ नियम 45 के अनुसार पेंशन की राशि का निर्धारण उन परिलब्धियों के आधार पर किया जाता है, जिन्हें सरकारी कर्मचारी वास्तव में सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त कर रहा था या पाने का हकदार था, यह लागू करने योग्य अधिकार है, किसी भी वैधानिक नुस्खे के अभाव में, पेंशनभोगी के पक्ष में कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं बनाया गया है कि पेंशन के संशोधन की नीति निर्धारित करते समय, अंतिम परिलब्धियों को संशोधित वेतनमान में उसके वेतन के काल्पनिक निर्धारण द्वारा काल्पनिक रूप से निकाला जाए। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क का पूरा आधार स्वीकार करने योग्य नहीं है और परिणामस्वरूप, प्रस्तुतीकरण विफल हो जाता है। पेंशन संशोधन का उद्देश्य 1 सितंबर, 1996 से वेतनमानों के संशोधन के मद्देनजर 1996 से पहले के सभी पेंशनभोगियों को पेंशन के उच्च स्तर पर लाना था और इसी उद्देश्य

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

से, 1996 से पहले के पेंशनभोगियों को एक स्तर पर लाया गया था। पेंशन संशोधन की ऐसी नीति का इस आधार पर विरोध नहीं किया जा सकता कि यद्यपि मुख्य अभियंता अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर अलग-अलग पेंशन प्राप्त कर रहे थे, फिर भी उन्हें समान स्तर पर लाया गया है। परमादेश रिट जारी करने की प्रार्थना कि वे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान में उच्चतर वेतन स्तर पर उच्च परिलब्धियों के कारण अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे थे, वे उन सेवानिवृत्त मुख्य अभियंताओं की तुलना में अधिक पेंशन पाने के हकदार हैं जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय निम्नतर वेतन स्तर पर कम परिलब्धियों के कारण कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे, वास्तव में संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% पेंशन के फार्मूले को बदलकर पेंशन संशोधन नीति में संशोधन करने के समान होगा। पेंशन का संशोधन संशोधित पेंशन के न्यूनतम के आधार पर होता है जिसे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, जिनका प्रतिनिधित्व इस याचिका के माध्यम से किया गया है, वास्तव में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त नहीं कर रहे थे। इसलिए, असमानों को समान मानने का तर्क कानून में असमर्थनीय है और इसी कारण से, प्रेम चंद सोमचंद शाह और अन्य **(**सुप्रा**)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना भी निराधार है।

36. विधि के अनुसार, दिनांक 22.05.2008 के ज्ञापन द्वारा तैयार और संशोधित पेंशन संशोधन योजना, डी**.**एस**.** नाकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ **(**सुप्रा**)** मामले में संविधान पीठ के निर्णय सहित अनेक निर्णयों में प्रतिपादित स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें यह माना गया है कि जो लोग सेवा प्रदान करते हैं और सेवानिवृत्ति या किसी अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं और पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें 'पेंशनभोगी' के रूप में समझा जाता है और वे पेंशन लाभों के उद्देश्य से एक समरूप वर्ग बनाते हैं, जिसे पेंशन संशोधन के उद्देश्य से असंबंधित पात्रता मानदंड मनमाने ढंग से निर्धारित करके उप-विभाजित नहीं किया जा सकता है। चूँकि उपरोक्त सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा बार-बार दोहराया और पुनः प्रस्तुत किया गया है, इसलिए हम अपने निर्णय को उन सभी निर्णयों से बोझिल नहीं बनाएंगे। पेंशन संशोधन हेतु लिए गए नीतिगत निर्णय का उद्देश्य 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि करना था क्योंकि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। वे जो परिलब्धियाँ प्राप्त कर रहे थे, वे पुराने वेतनमान के अंतर्गत थीं और बाद में 01.01.1996 से वेतनमान संशोधित किए गए। एक कल्याणकारी उपाय और आदर्श नियोक्ता के रूप में, राज्य ने

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

संशोधित वेतनमान के आधार पर स्वयं पेंशन संशोधित करना उचित समझा, जिससे 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन राशि में निश्चित रूप से वृद्धि होने वाली थी। इस प्रकार, उद्देश्य यह था कि वेतन संशोधन नीति का लाभ प्रदान करने के लिए 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों के एक समरूप वर्ग को एक साथ लाया जाए। इसलिए, संशोधित वेतनमानों के आधार पर पेंशन संशोधित करके उनकी पेंशन राशि बढ़ाने के उद्देश्य से 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों के एक समरूप वर्ग के रूप में इस वर्गीकरण को, किसी भी तरह से, मनमाना या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता। तथापि, पेंशन में संशोधन की नीति निर्धारित करते समय, राज्य ने अपने स्वयं के वित्तीय निहितार्थों और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई कि पेंशन या पारिवारिक पेंशन, जैसा भी मामला हो, 01.01.1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम का क्रमशः 50% और 30% होगी।

37. डी.एस. नाकारा एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में ही संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से माना था कि पेंशन पूर्व में की गई सेवाओं के लिए भुगतान है और यह एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है जो उन लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करता है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए इस आश्वासन पर निरंतर परिश्रम किया कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। यह भी माना गया कि सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन संविधान के लक्ष्यों के अनुरूप और उन्हें आगे बढ़ाने वाली है और यह निहित अधिकार बनाती है और वैधानिक नियमों द्वारा शासित होती है।

वर्तमान मामले में भी, सोसायटी के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले पेंशनभोगी 1996 के पेंशन नियमों की योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और एक कल्याणकारी उपाय के रूप में, बढ़ते मूल्य सूचकांक और जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने के लिए, पेंशन को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था, अन्यथा 1996 से पहले के पेंशनभोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रही होती क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति के समय, वे संशोधन से पहले के वेतनमान के तहत अपना पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे। 01.09.1996. सख्ती से कहा जाए तो नियमों के तहत पेंशन की राशि का निर्धारण नियमों के अनुसार था लेकिन नियमों के तहत पेंशन में संशोधन के किसी प्रावधान के अभाव में बढ़ी हुई पेंशन की योजना लाने के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया था। पहले दो प्रस्तुतियाँ खारिज की जाती हैं।

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

38. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करते हुए ग्रेच्युटी में संशोधन के बारे में भी एक मुद्दा उठाया है कि ज्ञापन संख्या एफ.12(3) एफडी (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 के तहत 1996 के पेंशन नियमों में संशोधन करके पेंशन नियमों को संशोधित करते समय ग्रेच्युटी की दरें 3,50,000/- रुपये से बढ़ाकर 10,00,000/- रुपये कर दी गई थीं लेकिन इस संशोधित ग्रेच्युटी का लाभ इस तरीके से सीमित है कि यह 01.01.2008 से लागू होगा। 01.01.2007 को सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को संशोधित ग्रेच्युटी दर का लाभ मिलेगा, जिसका अर्थ है कि केवल वे लोग जो उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे ही संशोधित ग्रेच्युटी दर के लाभ के हकदार होंगे, लेकिन वे लोग नहीं जो उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं।

12.09.2008 की अधिसूचना के तहत पेंशन नियमों 1996 में किए गए संशोधन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि विभिन्न नियमों के तहत प्रदान की गई सीमा को नियम 42, 54, 55, 62, राजस्थान सरकार के निर्णय संख्या 1, नियम 127, नियम 152, 153, 155, 157 और परिशिष्ट (V) के नियम 4(6) के तहत उच्च सीमाओं में बदल दिया गया था। ग्रेच्युटी का संशोधन उनमें से एक था।

सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी पेंशन नियम 1996 के नियम 55 में निहित प्रावधानों के अनुसार देय है, पेंशन नियम 1996 के नियम 55 के उप-नियम (1) में संशोधन से सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त उपाय के रूप में ग्रेच्युटी का प्रावधान है। एक सूत्र निर्धारित करते हुए, यह ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा का भी प्रावधान करता है। सेवानिवृत्ति के समय देय ग्रेच्युटी की राशि को अधिसूचना दिनांक 12.09.2008 के तहत नियम 55, उप-नियम (1) में संशोधन करके बढ़ा दिया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां ग्रेच्युटी की राशि बढ़ाने का निर्णय, हालांकि 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, कोई उप-वर्गीकरण बनाकर चयनात्मक तरीके से है। मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, जो सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय देय होती है, नियमों के एक समूह द्वारा शासित होती है, जो सेवानिवृत्ति के समय अस्तित्व में और लागू होती है। ग्रेच्युटी की राशि में किसी भी बाद के परिवर्तन या वृद्धि का पूर्वव्यापी प्रभाव से दावा नहीं किया जा सकता है ताकि संशोधित ग्रेच्युटी की प्रभावी तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनभोगियों को शामिल किया जा सके। ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण अनिवार्य रूप से ग्रेच्युटी नियमों पर निर्भर करता है, जो सेवानिवृत्ति की तिथि पर लागू थे, जैसा कि 1996 के पेंशन नियमों के नियम 55 में प्रावधान है।

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

याचिकाकर्ताओं ने 1996 के पेंशन नियमों के नियम 55 की वैधता को चुनौती नहीं दी है, जो एक विशेष तिथि से संशोधित ग्रेच्युटी राशि को लागू करता है। पेंशन नियमों में संशोधन करके समय-समय पर ग्रेच्युटी राशि की दर में आवधिक वृद्धि तदनुसार लागू होगी और यह अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है कि ग्रेच्युटी की दरें, जो समय-समय पर समय-समय पर बढ़ाई गई हैं और नियमों में संशोधन लागू होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों पर लागू हैं, उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होनी चाहिए जो कटऑफ तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। ग्रेच्युटी पेंशन की तरह एक सतत भुगतान नहीं है, बल्कि ग्रेच्युटी की दरों के आधार पर 1996 के पेंशन नियम के नियम 55 के तहत किया गया एकमुश्त भुगतान है, जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि पर लागू थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां किसी विशेष उदारीकरण योजना के तहत पेंशन को संशोधित करने का निर्णय लिया गया हो, पेंशनरों को बिना किसी तर्कसंगत एकीकरण के उप-वर्गों में सूक्ष्म रूप से वर्गीकृत किया गया हो, जिसमें उचित वर्गीकरण का कोई आधार न हो। इसलिए, इस संबंध में तर्क अस्वीकार करने योग्य है

39. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का अगला निवेदन राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में दिनांक 29.12.2011 की अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधन की प्रयोज्यता और निर्धारित अंतिम तिथि के संबंध में है। उक्त अधिसूचना द्वारा, राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (सातवाँ संशोधन) नियम, 2011 द्वारा वेतन नियमों में संशोधन किया गया था। इस समय, यह ध्यान देने योग्य है कि यह पेंशन नियमों में संशोधन नहीं था, बल्कि वेतन नियमों में संशोधन था, जो सेवारत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है और यह पेंशनभोगियों के मामले में स्वतः लागू नहीं होता है, जब तक कि पेंशन योजना स्वयं संशोधित ग्रेड वेतन के आधार पर पेंशन के भुगतान का प्रावधान न करे। उक्त संशोधन द्वारा, चालू वेतन बैंड में संशोधित ग्रेड वेतन प्रदान किया गया था। जहां तक मुख्य अभियंताओं का संबंध है, अधिसूचना दिनांक 29.12.2011 के खंड (v) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि "लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)-(i) राजस्थान अभियंता सेवा" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 5 पर विद्यमान प्रविष्टि को पूर्व विद्यमान वेतन बैंड 8,900/- रुपये के स्थान पर 10,000/- रुपये के वेतन बैंड से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों में यह भी प्रावधान किया गया था कि ये 20.07.2011 से लागू माने जाएंगे। अतः 20.07.2011 से ग्रेड वेतन 23 को संशोधित कर 10,000/- रुपये कर दिया गया। प्रार्थना है कि याचिकाकर्ता संख्या 1-

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

सोसायटी के सदस्यों को उनकी मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन में वृद्धि और ग्रेड वेतन 24 के अनुसार गणना करने का हकदार घोषित किया जाए, अर्थात 10,000/- रुपये का ग्रेड वेतन लागू किया जाए।

40. पहले दो तर्कों पर विचार करते हुए, हम पहले ही ज्ञापन संख्या एफ.15(1) एफडी (नियम)/1999 दिनांक 22.05.2008 पर विचार कर चुके हैं, जिसके द्वारा 1996 से पूर्व के राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन की नीति प्रख्यापित की गई थी। एक अन्य ज्ञापन संख्या एफ.12(3) एफडी (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 के माध्यम से, यह आदेश दिया गया था कि 01.09.2006 से पूर्व के सभी राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 01.09.2006 से संशोधित किया जाए, जैसा कि नीचे दिए गए तरीके से किया गया है। इसने उपरोक्त ज्ञापन के खंड-4 में शामिल योजना के अनुसार समेकन के माध्यम से पेंशन में संशोधन का प्रावधान किया ताकि मौजूदा पेंशन/पारिवारिक पेंशन को मूल पेंशन/पारिवारिक/समेकित पेंशन/24.05.2004 के आदेश के तहत समेकित पारिवारिक पेंशन के 50% की दर से महंगाई पेंशन के साथ समेकित किया जा सके, 24% की महंगाई राहत, 40% की फिटमेंट वेटेज के साथ कुछ निश्चित शर्तें शामिल हैं। यह भी सभी पेंशनभोगियों को लाभान्वित करने वाली पेंशन संशोधन की एक नई नीति थी। उपरोक्त संशोधित पेंशन योजना में पैरा 5 से आगे यह प्रतिबिंबित होता है कि सरकार का इरादा पेंशन को समेकित करने का था ताकि इस शर्त के साथ पेंशन में वृद्धि हो सके कि 2006 से पहले के पेंशनभोगियों की 01.09.2006 तक समेकित पेंशन, ग्रेड पे के अनुसार चालू वेतन बैंड में पद के न्यूनतम योग के 50% से कम नहीं होगी। पेंशनभोगी जिस पद से सेवानिवृत्त हुए थे, उसके पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप, 01.09.2006 से लागू, कुछ शर्तों के अधीन। इसलिए, 01.09.2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों की पेंशन में आगे संशोधन के मामले में, पेंशन योजना में संशोधन लागू किया गया। 12.09.2008 के एक और आदेश, ज्ञापन संख्या एफ.12(4) एफडी (नियम)/2008 द्वारा, महंगाई राहत की दरों को भी संशोधित कर उच्च दरें प्रदान की गईं। दिनांक 06.04.2013 के ज्ञापन द्वारा, विद्यमान शब्द और अंक “01.09.2006” और “01.09.2006 से पूर्व” के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक “01.01.2006 और “01.01.2006 से पूर्व” प्रतिस्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त, विद्यमान अंक “31.08.2006” के स्थान पर “31.12.2005” अंक प्रतिस्थापित किए गए।

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

41. यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ ग्रेड पे 24 में रु. 37400-67000 के चालू वेतन बैंड के अनुरूप ग्रेड पे @ 10,000/- का संशोधन केवल 01.01.2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों के एक विशेष वर्ग पर लागू करने का निर्णय लिया गया था और बिना किसी तर्कसंगत एकीकरण या सुबोध विभेद के मनमाना उप-वर्गीकरण किया गया था। 29.12.2011 की अधिसूचना द्वारा 20.07.2011 से लागू किए गए वेतन नियमों 2008 के संशोधन का उद्देश्य केवल सेवारत वर्तमान सरकारी कर्मचारियों के वेतन का संशोधन करना था। वर्ष 2008 में समय-समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा पेंशन संशोधन, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, में समय-समय पर ग्रेड पे को संशोधित करने की नीति शामिल नहीं थी। जबकि ज्ञापन दिनांक 12.05.2008 का उद्देश्य 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि करना था, अधिसूचना दिनांक 12.09.2008 का उद्देश्य एक विशेष योजना/सूत्र निर्धारित करके 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन करना और उसे बढ़ाना था, जिसमें संशोधन के दायरे, तरीके और सीमा का वर्णन किया गया था।

42. तत्पश्चात, जब 2006 से पूर्व के राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में एक अन्य ज्ञापन दिनांक 18.06.2013 के माध्यम से और संशोधन किया गया, तो निम्नलिखित प्रावधान किया गया:

> "3. इस मामले पर विचार किया गया है और राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन को 01.01.2006 को निर्धारित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन के योग के 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा, जो चयन ग्रेड सहित पद के पूर्व संशोधित वेतनमान के अनुरूप होगा और शिक्षकों के मामले में वरिष्ठ और चयन वेतनमान जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे, जैसा कि संदर्भ में प्राप्त हुआ है।
>
> (i) राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008
>
> (ii) राजस्थान सिविल सेवा (पुस्तकालयाध्यक्षों और पीटीआई सहित सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए संशोधित वेतन) नियम, 2009
>
> (iii) राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और पीटीआई के लिए संशोधित वेतन) नियम, 2010
>
> (iv) राजस्थान सिविल सेवा (डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स शिक्षकों के लिए संशोधित वेतनमान) नियम, 2010
>
> 4. इसी प्रकार, 01.01.2006 से संशोधित 2006-पूर्व पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संबंध में पारिवारिक पेंशन भी 01.01.2006 को पद के पूर्व संशोधित

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

वेतनमान के अनुरूप वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन के योग के 30 प्रतिशत तक बढ़ा दी जाएगी, जिसमें वरिष्ठ शिक्षकों के मामले में चयन ग्रेड और चयन वेतनमान शामिल है, जिससे सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था, जैसा कि ऊपर पैरा 3 में निर्दिष्ट निर्धारण तालिकाओं के संदर्भ में प्राप्त हुआ है।

5. उपरोक्त पैरा 3 और 4 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान की सुविधा के लिए, पद के पूर्व-संशोधित वेतनमान के 01.01.2006 को संबंधित आरपीबी और जीपी के आधार पर 2006-पूर्व पेंशनभोगियों की न्यूनतम संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की तालिका संलग्न में दर्शाई गई है। अनुलग्नक।

6. उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार और अनुलग्नक के कॉलम 8 में दर्शाए अनुसार निर्धारित पेंशन, जहां पेंशनभोगी ने 01.01.2006 से पूर्व लागू राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 54 के अनुसार पूर्ण पेंशन के लिए अधिकतम आवश्यक सेवा से कम सेवा की है, वहां आनुपातिक रूप से कम की जाएगी और किसी भी स्थिति में यह 3025/- रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी।

7. यदि ज्ञापन दिनांक 06.04.2013 द्वारा संशोधित ज्ञापन दिनांक 12.09.2008 के पैरा 4 के अनुसार गणना की गई समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन, ऊपर दर्शाए गए तरीके से गणना की गई पेंशन/पारिवारिक पेंशन से अधिक है, तो उसे (उच्चतर समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन) मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन माना जाता रहेगा।

8. चूंकि समेकित पेंशन में पेंशन का कम्यूटेड भाग, यदि कोई हो, शामिल है, इसलिए मासिक संवितरण करते समय उक्त राशि से कम्यूटेड भाग की कटौती की जाएगी, यदि बहाल नहीं किया जाएगा।

9. समय-समय पर संशोधित ज्ञापन दिनांक 12.09.2008 में दी गई अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

10. ये आदेश 01.07.2013 से प्रभावी होंगे। 01.01.2006 से 30.06.2013 तक की अवधि के दौरान संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसलिए 30.06.2013 तक इन आदेशों के कारण कोई बकाया देय नहीं होगा।

43. 2006 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन करते समय, उद्देश्य यह प्रावधान करके पेंशन की राशि में वृद्धि करना था कि 2006 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन, चयन ग्रेड सहित पद के संशोधन-पूर्व वेतनमान के अनुरूप, 01.01.2006 को निर्धारित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन के योग के 50% तक बढ़ा दी जाएगी। नीति निर्माताओं ने पेंशन में संशोधन तो किया, लेकिन संशोधन का आधार 01.01.2006 को निर्धारित ग्रेड वेतन में वेतन बैंड ही था। नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में संशोधन करने वाली अधिसूचना दिनांक 29.12.2011 के तहत संशोधित ग्रेड वेतन का लाभ देता हो। जब तक 2011 के

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

संशोधन के अनुसार संशोधित ग्रेड वेतन को 2006 से पूर्व के राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन संशोधन के लिए लागू नहीं किया जाता, तब तक यह दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता कि वेतन नियमों में आगे संशोधन, जो अनिवार्य रूप से सेवा में रहने वालों पर लागू होता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रदान किया जाना चाहिए या 2006 से पूर्व के सभी राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों पर लागू किया जाना चाहिए। राहत, वास्तव में, पेंशन संशोधन के प्रयोजनों के लिए वेतन नियमों के संशोधन के आवेदन की मांग करती है, जबकि 1996 के पेंशन नियमों या 29.12.2011 की अधिसूचना या 18.06.2013 के ज्ञापन के तहत पेंशन संशोधन की नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

जिले सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना न केवल कानून की दृष्टि से बल्कि तथ्यों की दृष्टि से भी गलत है। उस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में एक संशोधन द्वारा एक अयोग्यता अधिरोपित की गई थी, जो 05.04.1994 तक केवल एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रही। उक्त प्रावधान ने दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को नगरपालिका के सदस्य का पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। हालाँकि, 04.10.1994 से प्रभावी एक अन्य संशोधन के अनुसार, यह प्रावधान किया गया कि एक वर्ष की समाप्ति पर या उसके बाद दो से अधिक बच्चे होने पर व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया तर्क यह था कि एक वर्ष की अवधि की गणना 04.10.1994 से की जानी चाहिए न कि 05.04.1994 से। उस संदर्भ में, मुद्दा यह था कि क्या यह पूर्वव्यापी रूप से लागू था और यदि नहीं, तो क्या द्वितीय संशोधन द्वारा संशोधित प्रावधान अपीलकर्ता पर लागू होता था। क़ानून के पूर्वव्यापी प्रभाव के संबंध में विधि के सिद्धांत पर नीचे चर्चा की गई है।

> “13. यह निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि प्रत्येक क़ानून प्रथम दृष्टया भावी होता है जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव के लिए नहीं बनाया जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर यह नियम वहाँ लागू होता है जहाँ क़ानून का उद्देश्य निहित अधिकारों को प्रभावित करना, नए भार डालना या मौजूदा दायित्वों को कम करना हो। जब तक क़ानून में ऐसे शब्द न हों जो विधानमंडल के मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करने के इरादे को दर्शाने के लिए पर्याप्त हों, तब तक उसे केवल भावी माना जाता है। "नोवा कॉन्स्टिट्यूटियो फ्यूचुरिस फॉर्मम इम्पोनेरे

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

डेबेट नॉन प्रेटेरिटिस" - एक नए क़ानून को आने वाले समय को विनियमित करना चाहिए, न कि अतीत को। (देखें, न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 9 वां संस्करण, 2004, पृष्ठ 438)। यह आवश्यक नहीं है कि किसी क़ानून को पूर्वव्यापी बनाने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान किया जाए और पूर्वव्यापीता के विरुद्ध अनुमान का खंडन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। आवश्यक निहितार्थ, विशेष रूप से उस मामले में जहाँ नया कानून समग्र रूप से समुदाय के लाभ के लिए किसी स्वीकृत बुराई को दूर करने के लिए बनाया गया हो। (ibid, पृ.440)।

14…...x……...x……...x…….x…….x

15. हालांकि पूर्वव्यापीता की कल्पना नहीं की जानी चाहिए और बल्कि पूर्वव्यापीता के विरुद्ध पूर्वधारणा है, क्रेइज़ (संविधि कानून, 7 वां संस्करण) के अनुसार, विधायिका के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव वाले कानून बनाना खुला है। यह स्पष्ट अधिनियमन द्वारा या प्रयुक्त भाषा से आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि प्रयुक्त भाषा से यह आवश्यक निहितार्थ निकलता है कि विधायिका का इरादा किसी विशेष धारा पर पूर्वव्यापी प्रभाव डालने का था, तो न्यायालय उसे ऐसा प्रभाव देंगे। पूर्वव्यापी प्रभाव स्पष्ट रूप से न दिए जाने की स्थिति में, न्यायालयों से प्रावधानों की व्याख्या करने और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है कि क्या विधायिका ने संविधि को पूर्वव्यापी प्रभाव देते हुए उस इरादे को पर्याप्त रूप से व्यक्त किया था। चार कारक प्रासंगिक बताए गए हैं: (i) संविधि का सामान्य दायरा और अधिकारक्षेत्र; (ii) लागू किए जाने वाले उपाय; (iii) कानून की पूर्व स्थिति; और (iv) विधायिका ने क्या विचार किया था (पृष्ठ 388)। पूर्वव्यापी प्रभाव के विरुद्ध नियम निरसन के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान नहीं करता, क्योंकि यह एक ऐसा विशेषाधिकार है जो उपार्जित अधिकार नहीं माना जाता (पृष्ठ 392)।

16. जहाँ किसी पूर्ववर्ती क़ानून में किसी स्पष्ट चूक को पूरा करने या किसी पूर्ववर्ती क़ानून को 'स्पष्ट' करने के उद्देश्य से कोई क़ानून पारित किया जाता है, वहाँ परवर्ती क़ानून का संबंध उस समय से होता है जब पूर्ववर्ती अधिनियम पारित किया गया था। पूर्वव्यापी प्रभाव के विरुद्ध नियम ऐसे विधानों पर लागू नहीं होता जो प्रकृति में व्याख्यात्मक और घोषणात्मक हों.....।"

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त निर्णय के पैरा-25 में कही गई बातों पर भरोसा करते हुए कहते हैं कि प्रतिस्थापन का प्रभाव यह होगा कि ग्रेड वेतन को पूर्वव्यापी तिथि से प्रतिस्थापित माना जाएगा। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। किसी प्रावधान के प्रतिस्थापन पर क़ानून के संचालन के संबंध में व्यापक सिद्धांतों पर नीचे चर्चा की गई है:

"25. किसी प्रावधान के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती प्रावधान निरस्त हो जाता है और उसका स्थान नया प्रावधान ले लेता है (देखें वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, ibid, पृष्ठ 565)। यदि इस प्रस्ताव के समर्थन में किसी प्राधिकार की आवश्यकता है, तो वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जा सकता है। शुगर मिल्स एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2002) 2 एससीसी 645, राजस्थान राज्य

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

बनाम मांगीलाल पिंडवाल (1996) 5 एससीसी 60, कोटेश्वर विट्ठल कामथ बनाम के. रंगप्पा बलिगा एंड कंपनी (1969) 1 एससीसी 255 और ए.एल.वी.आर.एस.टी. वीरप्पा चेट्टियार बनाम एस. माइकल एआईआर 1963 एससी 933। पश्चिमी उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि राज्य सरकार ने पुराने नियम के स्थान पर नया नियम लागू करके पुराने नियम को लागू रखने का कभी इरादा नहीं किया था। इस मुद्दे से जुड़ी परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने माना कि प्रतिस्थापन का प्रभाव केवल पुराने नियम को हटाना और नए नियम को लागू करना था। मांगीलाल पिंडवाल मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने उस विधायी प्रथा को बरकरार रखा जिसमें किसी ऐसे क़ानून के पाठ में प्रतिस्थापन द्वारा संशोधन शामिल किया जाता है जो अस्तित्व में नहीं है और यह माना गया कि प्रतिस्थापन का प्रभाव उस अवधि के दौरान क़ानून के संचालन में संशोधन करने का होगा जिसमें वह लागू था। कोटेश्वर मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने किसी नियम के "अधिक्रमण" और किसी नियम के "प्रतिस्थापन" के बीच के अंतर पर ज़ोर दिया और कहा कि प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में दो चरण होते हैं: पहला, पुराने नियम को अस्तित्व में नहीं रखा जाता और फिर, उसके स्थान पर नया नियम अस्तित्व में लाया जाता है।

उपरोक्त निर्णय इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता कि सभी प्रतिस्थापन पूर्वव्यापी प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत, व्याख्या का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक क़ानून प्रथम दृष्टया भावी होता है जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए न बनाया गया हो। इस सिद्धांत पर आगे की चर्चा यह है कि किसी दिए गए मामले में, विभिन्न प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या क़ानून पूर्वव्यापी रूप से लागू होने के लिए अभिप्रेत था।

हालांकि, वर्तमान मामले में, वेतन नियम अर्थात राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 को 29.12.2011 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें उच्च ग्रेड का वेतन प्रदान किया गया था। स्पष्ट शब्दों में संशोधन में कहा गया है कि ग्रेड वेतन में संशोधन 20.07.2011 से लागू होगा। ग्रेड वेतन में संशोधन के वित्तीय निहितार्थ हैं। केवल इसलिए कि 2008 के वेतन नियमों में, 8,900/- रुपये के ग्रेड वेतन को संशोधित कर 10,000/- रुपये कर दिया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के संशोधन को 2008 के वेतन नियमों के प्रभावी होने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाना चाहिए। अपने मूल स्वभाव में, वेतन, ग्रेड वेतन, भत्ते का संशोधन, जब तक कि स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी होने के लिए नहीं कहा जाता है, इसे केवल भावी माना जाना चाहिए। वेतनमान, भत्ते, ग्रेड वेतन और वित्तीय लाभों के उच्च स्तर पर संशोधन हालाँकि,

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

नियोक्ता को पूर्वव्यापी तिथि से ऐसे लाभ देने से कोई नहीं रोकता है और यदि वह किसी विशेष तिथि से लाभ देने का निर्णय लेता है, तो उस पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, न ही यह दावा किया जा सकता है कि उसे पूर्वव्यापी तिथि से लाभ दिया जाना चाहिए जिससे ऐसा दावा करने वाले व्यक्तियों को लाभ हो। अतः, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है।

44. विभिन्न पेंशन संशोधन नीतियों के अंतर्गत पेंशन संशोधन, जिनकी चर्चा ऊपर की गई है और जिनका उल्लेख किया गया है, यह दर्शाता है कि राज्य समय-समय पर वेतन संशोधन को ध्यान में रखते हुए पेंशन नीतियों में संशोधन करता रहा है, लेकिन इस तरह के संशोधन को किस प्रकार और किस सीमा तक किया जाना है, यह वित्तीय निहितार्थों और संसाधनों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जो कार्यकारी नीति निर्माण के क्षेत्राधिकार में आते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि पेंशन को समय-समय पर संशोधित किया गया है, लेकिन यह वित्तीय लाभों की सीमा और ऐसे संशोधन के प्रभावी होने की तिथि के संदर्भ में समय-समय पर वेतन संशोधन के तरीके और सीमा के अनुसार बिल्कुल वैसा नहीं है।

45. याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई प्रार्थनाएँ, वास्तव में, प्रतिवादियों को पेंशन नीतियों को याचिकाकर्ता संख्या 1 सोसाइटी द्वारा दावा किए गए तरीके से संशोधित करने का निर्देश देने के लिए परमादेश रिट जारी करने की मांग कर रही हैं ताकि इसे सभी मामलों में समय-समय पर किए गए वेतन संशोधन के बराबर लाया जा सके।

जीवन-यापन की बढ़ती लागत और मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा समय-समय पर वेतन संशोधन और पेंशन संशोधन किया जाता है और इससे निपटने के लिए न केवल वेतन संशोधन और पेंशन संशोधन के विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, बल्कि परिवर्तनशील विशेषताओं के रूप में महंगाई राहत, अंतरिम राहत, अतिरिक्त पेंशन, भत्ते आदि जैसी विभिन्न अन्य राहतें भी प्रदान की गई हैं।

46. हालांकि, वेतन या पेंशन संशोधन किस प्रकार किया जाना है, यह राज्य प्राधिकारियों के कार्यपालक अधिकार क्षेत्र में है और जब तक पेंशन संशोधन या पेंशन उदारीकरण की नीति के अनुप्रयोग के मामले में, सुबोध विभेद पर आधारित उप-वर्गीकरण नहीं किया जाता है या नीति स्वयं

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

किसी कानून या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती है, तब तक केवल कुछ आदर्शवादी सिद्धांतों या राज्य के नैतिक दायित्वों के आधार पर पेंशन संशोधन की नीति में संशोधन का निर्देश देना न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता है। वेतन संशोधन की तरह, पेंशन संशोधन के भी वित्तीय निहितार्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूप बढ़े हुए लाभों की प्रयोज्यता के लिए कुछ निश्चित कटऑफ तिथियां प्रदान की जाती हैं, साथ ही वास्तविक लाभों को बिना किसी प्रारंभिक तिथि से प्रदान किए काल्पनिक निर्धारण का एक सूत्र प्रदान करके वास्तविक लाभों को सीमित किया जाता है, जो कि कानून निर्माताओं और कार्यपालिका द्वारा नीति निर्माण के क्षेत्र में है।

47. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने ऊपर उल्लिखित निर्णयों की श्रृंखला पर भरोसा किया है। जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव का निषेध करते हैं। अधिकांश मामलों में, तथ्यों के आधार पर, यह पाया गया कि पेंशन योजना या उदारीकृत पेंशन योजना का लाभ पेंशनभोगियों को दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कटऑफ तिथि से पहले के पेंशनभोगी एक पेंशन योजना के अंतर्गत शासित थे, जबकि कटऑफ तिथि के बाद के पेंशनभोगी एक अन्य संशोधित/उदारीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत शासित थे।

डी.एस. नाकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ के मामले में, गैर-अंशदायी सेवानिवृत्ति पेंशन योजना के संशोधन का लाभ एक विशेष कटऑफ तिथि के संदर्भ में पेंशनभोगियों के एक विशेष वर्ग तक सीमित था, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक माना गया था।

एम.सी. ढींगरा बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में, भारत सरकार के दिनांक 31.03.1982 के परिपत्र के अनुसार पेंशन प्रदान करने के लिए पूर्व सेवा की गणना की अनुमति देने वाले प्रावधान का लाभ केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित था जो परिपत्र जारी होने की तिथि को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे, जिसे मनमाना माना गया।

धन राज एवं अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य मामले में, दिनांक 03.10.1986 के आदेश के अनुसार पेंशन का विकल्प चुनने का लाभ उन लोगों को भी प्रदान किया गया जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। यह माना गया कि विकल्प का लाभ न केवल उन लोगों पर लागू था जो

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

09.06.1986, अर्थात् सेवा विनियमों में संशोधन की तिथि के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, बल्कि उन लोगों पर भी लागू था जो उस तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

भारत संघ बनाम बिधुभूषण मलिक एवं अन्य के मामले में, यह माना गया कि मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 1954 के अधिनियम के अध्याय II के अनुसार, जैसा कि 1976 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, पेंशन संबंधी लाभों के हकदार हैं, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो।

भारत संघ एवं अन्य बनाम देवकी नंदन अग्रवाल के मामले में, उदारीकृत पेंशन योजना का लाभ निर्धारित तिथि से पहले सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को देने से इनकार कर दिया गया था, जिसे कानून में अनुचित माना गया था। एक बार पेंशन योजना उदारीकृत हो जाने के बाद, इसे सभी पर लागू माना गया, हालाँकि यह माना गया कि लाभ केवल निर्धारित तिथि से ही दिया जा सकता है।

आर.एल. मारवाह बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में, यह भेदभाव किया गया था कि सरकारी सेवाओं की अवधि को अर्हक सेवा के भाग के रूप में गिनने या स्वायत्त निकाय द्वारा आमेलन पर पेंशन की गणना करने का लाभ, जहाँ पेंशन योजना भी निष्क्रिय थी, सीमित था और केवल उन लोगों तक सीमित था जो 20.08.1984 के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे। यह माना गया कि ऐसी कटऑफ तिथि के आधार पर ऐसा भेदभाव भेदभावपूर्ण है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा इससे जुड़े मामले एक ऐसा मामला था जिसमें पेंशन योजनाओं को क्रमिक रूप से उदार बनाया गया जबकि भविष्य निधि योजना स्थिर रही। कर्मचारी को विकल्प चुनने का अवसर दिया गया। भविष्य निधि धारकों को पेंशन योजना में परिवर्तन के लिए विकल्प चुनने का पर्याप्त अवसर दिया गया। जो भविष्य निधि सेवानिवृत्त कर्मचारी समय पर विकल्प चुनने में विफल रहे, उन्हें समानता के आधार पर पेंशन योजना में शामिल होने का हकदार नहीं माना गया। यह माना गया कि भविष्य निधि सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारी अलग-अलग वर्ग के हैं। उपरोक्त मामले में, प्रतिपादित सिद्धांत यह था कि नैतिक दायित्व बाध्यकारी नहीं है जबकि कानूनी दायित्व राज्य पर अपने कर्मचारियों के प्रति बाध्यकारी हैं।

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

वी. कस्तूरी बनाम प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, बॉम्बे एवं अन्य के मामले में, यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण निर्धारित किया गया था कि क्या पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन नियमों में संभावित संशोधन के लाभ के लिए पात्र थे। यह माना गया कि जहां संशोधन ने पेंशन में वृद्धि की है या पेंशन की गणना के लिए एक नया फार्मूला प्रदान किया है, यहां तक कि पहले सेवानिवृत्त हुए लोग, जो अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के लिए पात्र थे और संशोधन की तारीख तक जीवित रहे, ऐसे संशोधन के लागू होने की तारीख से इसके लाभ के लिए पात्र होंगे। हालांकि, जहां संशोधन ने पेंशन योजना का लाभ पेंशनभोगियों के एक नए वर्ग तक बढ़ाया, पहले सेवानिवृत्त हुए लोग जो सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के लिए पात्र नहीं थे, उन्हें संशोधन का लाभ पाने के लिए अपात्र माना गया।

भारत संघ और अन्य बनाम एसपीएस वेंस (सेवानिवृत्त) और अन्य के मामले में, एक ही रैंक के भीतर असमानता देखी गई और डी.एस. नाकारा और अन्य बनाम भारत संघ (सुप्रा) के मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाना स्वीकार्य नहीं था। सचदेवा (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य बनाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक और अन्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्रतिपादित सिद्धांतों की कसौटी पर, यह माना गया था कि चूंकि पेंशन एक अनुग्रह भुगतान नहीं है, बल्कि पिछली सेवा की मान्यता में भुगतान है, इसलिए उन कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता था, जिन्हें समाहित/आबंटित किया गया है और वे पेंशन के प्रयोजन के लिए अपनी सेवाओं को अर्हक सेवा के रूप में गिनने के हकदार हैं और न केवल वे, जिन्हें सीधे नियुक्त किया गया है क्योंकि इन सभी कर्मचारियों ने बिना किसी ब्रेक के सेवा की है।

भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य बनाम कृष्ण मुरारी लाल अस्थाना और अन्य के मामले में, यह प्रतिपादित किया गया है कि पेंशन एक इनाम नहीं है। विचार के लिए उठने वाला मौलिक मुद्दा निगम के अध्यक्ष की लागू नियमों की योजना के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति के संबंध में था।

के.जे.एस. बुट्टर बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में, विकलांगता पेंशन के बढ़े हुए लाभ सेवा से अमान्य घोषित होने के काफी समय बाद की तिथि से उपलब्ध कराए गए थे। याचिकाकर्ता की 1979 में सेवानिवृत्ति के आधार पर, बढ़े हुए पुन:परीक्षण लाभ का लाभ देने से इनकार कर दिया

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

गया था, जबकि ये लाभ बाद में शुरू किए गए थे। इन परिस्थितियों में, यह माना गया कि लाभार्थी योजना शुरू होने से पहले सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति भी लाभ के हकदार थे।

पी. रामकृष्णम राजू बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत पेंशन निर्धारण के प्रयोजनार्थ बार से सीधे नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष के अभ्यास को जोड़ने का लाभ देने से इनकार करना, जबकि राज्य न्यायिक सेवाओं से पदोन्नत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जो बार से जिला न्यायाधीश स्तर पर शामिल हुए थे, के साथ-साथ बार से सीधे नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्चतर न्यायिक सेवाओं के न्यायाधीशों को यह लाभ प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14, 16(1) और 21 का उल्लंघन होने के कारण भेदभावपूर्ण और मनमाना माना गया।

राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम महेंद्र नाथ शर्मा के मामले में, वेतन संशोधन के बाद उच्च बैंड में पेंशन लाभ देने से इनकार करने के मुद्दे की जांच की गई।

> "26.....इस तथ्य पर कोई आपत्ति नहीं है कि प्रतिवादियों को एक वेतन बैंड में फिट किया गया है और 2006 से वेतन संशोधन के तहत पेंशन का लाभ दिया गया है क्योंकि प्रतिवादियों ने तीन साल की सेवा पूरी कर ली थी। पैरा 5 स्पष्ट रूप से यह धारणा रखता है कि 1.9.2006 को समेकित पेंशन (अंतिम मूल पेंशन के रूप में मानी गई), 1.9.2006 से पहले के सभी पेंशनभोगियों के लिए, 1.9.2006 से लागू चल वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में पद के न्यूनतम वेतन के योग के 50% से कम नहीं होगी, जो उस पद के पूर्व-संशोधित वेतनमान के अनुरूप है जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुए थे। एकमात्र शर्त न्यूनतम योग्यता सेवा है और सभी प्रतिवादियों के पास 1.9.2006 तक तीन साल का अनुभव है। जैसा कि तथ्यात्मक स्कोर दर्शाता है, प्रतिवादियों को वेतनमान के संशोधन के बाद निचले बैंड पर पेंशन का भुगतान किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि जो व्यक्ति पहले से ही समान योग्यता के साथ सेवा में थे उन्हें उच्च वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में रखा गया है।
>
> 27. पैरा 5 की जांच किए जाने की आवश्यकता है और ऐसी जांच से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1.9.2006 से पूर्व के पेंशनभोगी की पेंशन, पद के पूर्व-संशोधित वेतनमान के अनुरूप, 1.9.2006 से लागू रनिंग पे बैंड + ग्रेड पे में पद के न्यूनतम योग के 50% से कम नहीं होगी। यदि वेतनमान को ध्यान में रखा जाए, तो संबंधित वेतन संशोधन 9000 रुपये एजीपी के साथ 37400-67000 रुपये होगा। एकमात्र योग्यता उस वेतनमान में तीन साल की सेवा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी प्रतिवादी उस मानदंड को पूरा करते हैं। "

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

ज्ञापन दिनांक 12.09.2008 पर पूर्वोक्त व्याख्या प्रतिवादियों की कार्रवाई को पूरी तरह से उचित ठहराती है, जैसा कि ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है।

ऑल मणिपुर पेंशनर्स एसोसिएशन बनाम इसके सचिव बनाम मणिपुर राज्य एवं अन्य के मामले में, यह माना गया कि अर्हक सेवा पूरी करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन के हकदार हैं और संशोधित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से कटऑफ वर्ष के आधार पर सेवानिवृत्त होने की एक विशेष तिथि के संदर्भ में दो श्रेणियां नहीं हो सकतीं, जैसे 1996 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और 1996 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले।

इस मामले में भी, पेंशन संशोधन की योजना सभी पर समान रूप से लागू की गई है।

वी. सुकुमारन बनाम केरल राज्य एवं अन्य के मामले में, डी.एस. नाकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ के मामले में प्रतिपादित पूर्व सिद्धांत कि पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए सहायता है और यह कोई इनाम नहीं बल्कि एक सामाजिक कल्याण उपाय है, पर प्रकाश डाला गया है।

48. इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, राज्य ने 30.10.2017 की अधिसूचना द्वारा संशोधित पेंशन फिर से जारी की है, जिसे 09.12.2017 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है। दिनांक 09.12.2017 की अधिसूचना के तहत 1996 के पेंशन नियमों में और संशोधन किए गए हैं। पुनः 06.06.2018 को एक ज्ञापन जारी किया गया जिसमें 01.01.2016 से पहले के राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में और संशोधन किया गया। पेंशन को और संशोधित करने वाली ये नई अधिसूचनाएं और संशोधन, साथ ही पेंशन नियमों में कुछ संशोधनों को शामिल करते हुए, याचिकाकर्ताओं द्वारा एक अतिरिक्त हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड में भी लाए गए हैं। इसके जवाब में, जवाबी हलफनामे में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन वर्ष 2016 में प्रख्यापित पेंशन नीतियों के नए संशोधन के अनुसार किया जाएगा, जिसके बाद दिनांक 06.06.2018 के ज्ञापन के तहत संशोधन की नवीनतम नीति जारी की जाएगी।

49. हम पाते हैं कि इसमें पेंशन संशोधन की पिछली योजना से स्पष्ट विचलन है। अब 01.01.2016 से पहले के राज्य पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधन की

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

योजना, दिनांक 06.06.2018 के ज्ञापन के माध्यम से, पेंशन संशोधन को उस वेतनमान/रनिंग पे बैंड और ग्रेड पे में वेतन से जोड़ती है जिस पर पेंशनभोगी सेवानिवृत्त/मृत हुए थे। चूँकि ये संशोधित वेतन के न्यूनतम के आधार पर पेंशन संशोधन की पिछली नीतियों से अलग हैं, नई योजना, दिनांक 06.06.2018 के ज्ञापन के विभिन्न खंडों के तहत प्रदान किए गए तरीके से काल्पनिक निर्धारण के फार्मूले को लागू करके संशोधित वेतन के साथ पेंशन संशोधन को जोड़कर बेहतर लाभ प्रदान करती है।

50. राज्य द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किए जाने के बाद, एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि यद्यपि पेंशन संशोधन की नई योजना में 2017 के संशोधित वेतन नियमों के तहत काल्पनिक वेतन के आधार पर पेंशन को संशोधित करने की आवश्यकता है,

51. बहस के दौरान, यह कहा गया कि यद्यपि दिनांक 06.06.2018 के ज्ञापन द्वारा पेंशन संशोधन की नई योजना के अंतर्गत, पेंशन का संशोधन संशोधित वेतनमान में प्राप्त होने वाले काल्पनिक वेतन पर आधारित है, फिर भी, पेंशन के संशोधन के प्रयोजनों के लिए, वेतनमान के न्यूनतम को आधार बनाया जा रहा है। हमें ऐसे आरोपों के समर्थन में कोई विशिष्ट तथ्यात्मक आधार नहीं मिलता है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी भी मामले में, दिनांक 06.06.2018 के ज्ञापन द्वारा पेंशन संशोधन की नीति के तहत पेंशन के संशोधन के मामले में इस आधार पर कोई शिकायत उत्पन्न होती है कि पेंशन को दिनांक 06.06.2018 के ज्ञापन में निहित मानदंडों के आधार पर संशोधित नहीं किया जा रहा है, तो पीड़ित सेवानिवृत्त मुख्य अभियंताओं के लिए विशिष्ट अभ्यावेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी।

52. तदनुसार, यह याचिका खारिज की जाती है।

53. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(शुभा मेहता), जे (मनींद्र मोहन श्रीवास्तव), सीजे

संजय कुमावत-507

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया

ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(29/05/2025 को अपराह्न 03:58:08 बजे डाउनलोड किया गया